राजेश्वर चंद्रशेखर गणेश

वी.

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य।

(2021 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 402)

14 जुलाई, 2022

[ए. एम. खानविलकर और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

भारत का संविधान-Art.32-बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य और इसका दायरा-नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा-दो नाबालिग बच्चों वाले पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं-के अनुसार

याचिकाकर्ता-माँ, प्रतिवादी नं। 2 - पिता ने नाबालिग बच्चों को उठाया और उन्हें सूचित किए बिना क्लीवलैंड, ओहियो से मिशिगन, यू. एस. ए. के लिए रवाना हो गए-ओहियो में अदालत द्वारा पारित आदेश द्वारा पक्षों के बीच एक साझा पालन-पोषण योजना बनाई गई थी-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादी नहीं। 2 गुप्त रूप से और बच्चों को संयुक्त राज्य अमेरिका से और याचिकाकर्ता की संयुक्त हिरासत से हटाने के उद्देश्य से, दो नाबालिग बच्चों के साथ भारत के लिए रवाना हो गए-उनके द्वारा दायर याचिका जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की गई थी-आयोजित की गईः द.

बाल अभिरक्षा मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का नियोजन किसी कानून के अनुसार नहीं है, बल्कि किसी भी कानून-क्षेत्राधिकार से स्वतंत्र है।

ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अपनी अंतर्निहित न्यायसंगत शक्तियों पर निर्भर करती है और अपने नाबालिग वार्ड की सुरक्षा के लिए माता-पिता के रूप में राज्य के बल का प्रयोग करती है, और जांच की प्रकृति और दायरा और परिणाम को पूरा करने के लिए निष्पक्षता की अदालत के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की मांग की जाती है-बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि नाबालिग बच्चों पर लागू होता है, निम्न में निर्धारित करना है -

जिसकी अभिरक्षा में शायद बच्चे का सर्वोत्तम हित होगा

उन्नत-वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका की निवासी है और उसने प्रायोजन के माध्यम से एच 1 बी वीजा प्राप्त किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी अच्छी नौकरी है-वह अच्छा वेतन कमा रही है और उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने बच्चों को आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए संसाधन हैं-वह आराम से संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गई है और विभिन्न प्रकार की जीवन शैली, संस्कृति, समाज आदि की आदी है। वह एक मेहनती महिला है और साझा पालन-पोषण योजना के अनुसार अपने नाबालिग बच्चों की अच्छी देखभाल करने की स्थिति में होगी-प्रतिवादी नं। 2 यह कि याचिकाकर्ता मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जंगली और लापरवाह प्रतीत होता है-अन्यथा यह तथ्य का एक अत्यधिक विवादित प्रश्न है-इसके अलावा, दोनों नाबालिग बच्चे हैं

232 राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य।

संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी-वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में पले-बढ़े हैं और जीवन शैली के आदी हैं, उस देश की भाषा, रीति-रिवाज आदि-साथ ही दोनों नाबालिग बच्चे।

पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूल में नामांकित हैं, एक विशेष स्कूल जो उल्लेखनीय रूप से उच्च आई. क्यू वाले बच्चों के लिए है-उनके पास परिष्कृत शिक्षा प्राप्त करने की बेहतर संभावनाएं हैं जो अंततः बढ़ सकती हैं।

उनकी क्षमता जो उनके पास पहले से है और वे पहले से ही अभ्यस्त और सहज हैं-यह दोनों बच्चों के हित और कल्याण में होगा कि वे अपनी शिक्षा आदि के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाएं। 2 दोनों नाबालिग बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने और आदेश के अनुसार साझा पालन-पोषण योजना का पालन करने का निर्देश दिया गया

ओहायो के न्यायालय द्वारा, जो यद्यपि याचिकाकर्ता के कहने पर समाप्त हो गया था, लेकिन ओहायो में संबंधित न्यायालय के समक्ष जाकर अधिकारियों द्वारा एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है-आगे के निर्देश जारी किए गए-अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890-हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956।

सिद्धांत/सिद्धांत

माता-पिता के अलगाव का सिद्धांत

सिंड्रोम-चर्चा की गई।

बाल अभिरक्षा-बच्चे का कल्याण-विचार किए जाने वाले कारक

- चर्चा की।

-

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. केवल संरक्षकों के प्रावधानों का एक पठन

और वार्ड अधिनियम, 1890 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 यह स्पष्ट करते हैं कि नाबालिगों का कल्याण इस हद तक प्रबल है कि उन व्यक्तियों के कानूनी अधिकार जिनका दावा है -

संरक्षक होना या अभिरक्षा का हकदार होने का दावा करना अदालत द्वारा निर्धारण में बहुत ही महत्वहीन भूमिका निभाएगा।

[पैरा 73] [258-सी]

2.1 एक मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाली याचिका में

बच्चे की अभिरक्षा के दावे के संबंध में, मुख्य मुद्दा जिस पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि बच्चे की अभिरक्षा अवैध है। हैबियस कॉर्पस की रिट एक विशेषाधिकार प्राप्त रिट है और

असाधारण उपचार। यह अधिकार का एक रिट है और निश्चित रूप से एक रिट नहीं है और केवल उचित आधार या संभावित कारण दिखाए जाने पर ही दिया जा सकता है। इसलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उस अधिकार क्षेत्र के तथ्य पर निर्भर करता है जहां आवेदक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रथम दृष्टया एक मामला स्थापित करता है कि हिरासत गैरकानूनी है। यह केवल तभी है जब उपरोक्त क्षेत्राधिकार तथ्य स्थापित किया जाता है कि आवेदक अधिकार के रूप में रिट का हकदार हो जाता है। ऐसे मामलों में अदालत का प्रमुख कर्तव्य यह पता लगाना होना चाहिए कि क्या बच्चे की अभिरक्षा गैरकानूनी और अवैध है और क्या बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक है कि उसकी वर्तमान अभिरक्षा को बदला जाए और बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल और अभिरक्षा में सौंप दिया जाए। इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि नाबालिगों के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने में, जिस अधिकार क्षेत्र का न्यायालय प्रयोग करता है, वह किसी विशेष प्रावधान द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकार क्षेत्र से अलग एक अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है। किसी विशेष कानून में। दूसरे शब्दों में, बाल अभिरक्षा मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट का उपयोग किसी भी क़ानून के अनुसार नहीं है, बल्कि उससे स्वतंत्र है। न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता ऐसे मामलों में अपनी अंतर्निहित न्यायसंगत शक्तियों पर टिकी होती है और अपने छोटे वार्ड की सुरक्षा के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग करती है, और जांच की प्रकृति और दायरा और परिणाम को पूरा करने की मांग की जाती है।

समता न्यायालय की अधिकारिता। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि नाबालिग बच्चों पर लागू होता है, में निर्धारित करना है

जिसकी अभिरक्षा में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को संभवतः आगे बढ़ाया जाएगा। अपने बच्चे की अभिरक्षा के लिए एक माता-पिता द्वारा दूसरे के खिलाफ लाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में, अदालत के समक्ष पक्षों के अधिकारों का सवाल होता है, जैसा कि उनके बीच होता है, और उसके सामने भी होता है, यदि अभिवचनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और साक्ष्य, बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देने में माता-पिता के रूप में राज्य के हित का प्रश्न है। [पारस 75,78-80 और 91] [258-F; 260-C-E; 265-C-E]

मोहम्मद. इकराम हुसैन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1625: [1964] एस. सी. आर. 86; कानू सान्याल बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग (1973) 2 एस. सी. सी. 674 [1974] 1 एस. सी. आर. 621; नित्या आनंद राघवन बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और दूसरा (2017) 8 एस. सी. सी. 454: [2017] 7 एससीआर 281; सैयद सलीमुद्दीन बनाम। डॉ. रुखसाना और अन्य (2001) 5 एस. सी. सी. 247: 2001 (1) पूरक। जे. टी. 1; तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम। शेखर जगदीश प्रसाद

तिवारी और अन्य (2019) 7 एस. सी. सी. 42: [2019] 7 एससीआर 335; अंजलि कपूर बनाम। राजीव बैजल (2009) 7 एससीसी 322: [2009] 6 एससीआर 560; रोजी जैकब बनाम। जैकब ए।

राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य।

चक्रमक्कल (1973) 1 एस. सी. सी. 840: [1973] 3 एससीआर 918

पर भरोसा किया।

2.2 जहाँ तक दो नाबालिग बच्चों का संबंध है, अभिलेख पर दी गई सामग्री से निम्नलिखित परिस्थितियाँ सामने आती हैंः (1)

2.3 याचिकाकर्ता के संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने का समर्थन करने वाले तथ्यः याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है और उसने प्रायोजन के माध्यम से एच 1 बी वीजा प्राप्त किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के रणस्ताद में उसकी अच्छी नौकरी है। याचिकाकर्ता अच्छा वेतन कमा रही है और उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने बच्चों को आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए संसाधन हैं। याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में आराम से बस गया है और इसके आदी है विभिन्न प्रकार की जीवन शैली, संस्कृति, समाज आदि। याचिकाकर्ता ने क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी [2022] 5 एस. सी. आर. में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की।

और अपने बच्चों की देखभाल करते हुए 3 से अधिक जी. पी. ए. के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। यह इस तथ्य का संकेत है कि वह

एक मेहनती महिला है और साझा पालन-पोषण योजना के अनुसार अपने नाबालिग बच्चों की अच्छी देखभाल करने की स्थिति में होगी। इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ता को यह बताना बहुत अधिक होगा कि वह समय-समय पर अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत आ सकती है लेकिन

बच्चों को अपने पिता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, यानी प्रतिवादी नहीं। 2 . [पारस 111-113] [287-B-E]

2.4 मामले के समग्र दृष्टिकोण में, प्रतिवादी नं। 2 ,

जल्द से जल्द, दोनों नाबालिग बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने और ओहियो में अदालत के आदेश के अनुसार साझा पालन-पोषण योजना का पालन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हालाँकि, ओहियो में अदालत के आदेश के अनुसार साझा पालन-पोषण योजना याचिकाकर्ता माँ के कहने पर समाप्त हो गई थी, फिर भी ओहियो में संबंधित अदालत के समक्ष जाकर अधिकारियों द्वारा इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस संबंध में पक्षकारों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रत्यर्थी नं. 2 इस आदेश के बल पर तुरंत वीजा के लिए आवेदन करेगा। यदि उत्तरदाता नहीं। 2 वर्क परमिट या किसी अन्य आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में है।

अन्य दस्तावेज़, तो यह अच्छा और अच्छा है। हालाँकि, इस न्यायालय को एक बात का यकीन है कि यह दोनों बच्चों के हित और कल्याण में होगा कि वे अपने उद्देश्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाएं। शिक्षा आदि। प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए आरोप सं। 2 यह कि याचिकाकर्ता किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, बिल्कुल बेतुका और लापरवाह प्रतीत होता है। अन्यथा भी यह मुद्दा तथ्य का एक अत्यधिक विवादित प्रश्न है। बार के मामले में प्रमुख

जिस पर अन्य सभी विचारों को अधीनस्थ रहना चाहिए, वह बच्चे का कल्याण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हिरासत का सवाल प्रतिद्वंद्वी पक्षों की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर निर्धारित किया जाएगा। इस मामले का निर्धारण केवल शारीरिक आराम और भौतिक लाभों के आधार पर नहीं किया जाएगा जो एक या दूसरे दावेदार के घर में उपलब्ध हो सकते हैं। बच्चे के कल्याण का निर्णय इन और बच्चे के सामान्य मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण सहित अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करके किया जाना चाहिए। विवादों को हल करते समय यह न्यायालय का उद्देश्य होना चाहिए।

एक बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के बीच, उस पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए जो स्वस्थ विकास के लिए सबसे अच्छा प्रदान करेगा, जेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम।

राज्य तमिल नाडु और ओआरएस।

बच्चे का पोषण और शिक्षा ताकि वह एक परिपक्व वयस्क के रूप में जीवन की समस्याओं का सामना कर सके। फ़ूशन जारी किए गए। [पारस 114,115] [287-ई-एच; 288-ए-सी]

एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम। अरविंद एम. दिनशॉ (1987) 1 एससीसी 42 [1987] 1 एससीआर 175; वी. रवि चंद्रन बनाम। भारत संघ और अन्य (2010) 1 एस. सी. सी. 174: [2009] 15 एस. सी. आर. 960; सूर्य वडानन बनाम। तमिलनाडु राज्य (2015) 5 एससीसी 450: [2015] 4 एस. सी. आर. 903; विवेक सिंह बनाम रोमानी सिंह (2017) 3 एस. सी. सी. 331: [2017] 2 एस. सी. आर. 312; वसुधा सेठी और अन्य बनाम। किरण वी. भास्कर और एक और (2022)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 43 107-पर निर्भर था। सुमेधा नागपाल बनाम। दिल्ली राज्य (2000) 9 एससीसी 745: 2000 (7) जे. टी. 450; मुथुस्वामी चेट्टियार बनाम। के. एम. चिन्ना

मुथुस्वामी मूपनार एयर 1935 मैड 195; शिल्पा अग्रवाल बनाम। अविरल मित्तल (2010) 1 एस. सी. सी. 591: [2009]

16 एस. सी. आर. 287; लहरी सखामुरी बनाम। सोभन कोडाली

(2019) 7 एस. सी. सी. 311 [2019] 5 एस. सी. आर. 240; सुरिंदर कौर संधू बनाम। हरबक्स सिंह संधू (1984) 3 एस. सी. सी. 698: [1984] 3 एससीआर 422; धनवंती जोशी बनाम। माधव उन्डे

(1998) 1 एससीसी 112: [1997] 5 पूरक। एससीआर 30-संदर्भित

को। के. जी. वी दिल्ली राज्य और एक अन्य दिनांकित 16.11.2017 लिखित याचिका (आपराधिक) सं. 374/2017-अनुमोदित।

गृह मामलों के राज्य सचिव बनाम ओ 'ब्रायन (1923) एसी 603 (609); मैकी बनाम। मैकी 1951 एसी 352 101; इनरेः मैकग्राथ (शिशु) [1893] 1 Ch. 143 ; इनरे "0" (एक शिशु) [1965] 1 Ch। 23 ; वॉकर वी। वॉकर एंड

को। हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, वॉल्यूम। 24 , अनुच्छेद 511; अमेरिकी न्यायशास्त्र, खंड। 39 , दूसरा

संस्करण, पृष्ठों पर अनुच्छेद 148 280-281-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

7] 1 एससीआर 175

पैरा 61

उस पर भरोसा करें

9] 15 एससीआर 960

पैरा

61 [2022] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2009] 16 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा

61

[2019] 5 एससीआर 240

पैरा

61

संदर्भित किया गया है

[1984] 3 एससीआर 422

पैरा

61

संदर्भित किया गया है

[2017] 7 एससीआर 281

उस पर भरोसा करें

पैरा

67

[1964] एससीआर 86

उस पर भरोसा करें

पैरा

78

[1974] 1 एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पैरा

78

[2019] 7 एससीआर 335

उस पर भरोसा करें

पैरा

82

[2009] 6 एससीआर 560

उस पर भरोसा करें

पैरा

83

[1973] 3 एससीआर 918

उस पर भरोसा करें

पैरा

83

[2015] 4 एससीआर 903

उस पर भरोसा करें

पैरा

98

[1997] 5 पूरक। एससीआर 30

संदर्भित किया गया है

पैरा

101

[2017] 2 एससीआर 312

उस पर भरोसा करें

पैरा

106

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः

लेख

न याचिका

(आपराधिक) 2021 की सं. 402।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रभजीत जौहर, सुश्री तुलिका भटनागर, एस. एस. जौहर, अधिवक्ता। के लिए

याचिकाकर्ता।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुशीला राम, अनुराग पांडे,

सुश्री सुचित्रा उपाध्याय, वर्निम गुप्ता, सुश्री अनुराधा के., सुश्री रीना पांडे, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित भारद्वाज, संजीव कुमार महारा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका

याचिकाकर्ता-माँ और प्रतिवादी के बीच विवाह से पैदा हुए बच्चों की अभिरक्षा पर एक प्रतियोगिता शामिल है। 2 - पिता। उत्तरदाताओं की संख्या। 4 और 5 क्रमशः प्रत्यर्थी सं. के भाई और पिता हैं। 2 .

2. याचिकाकर्ता-माँ ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

" (क) प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

हैबियस कॉर्पस उत्तरदाता संख्या 1 को तुरंत पता लगाने के लिए

और नाबालिग बच्चों लक्ष्य गणेश और भाविन को जन्म देते हैं।

साई गणेश इस माननीय न्यायालय के समक्ष अपने राजेश्वर चंद्रशेखर गणेश बनाम.

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

याचिकाकर्ता माँ को अभिरक्षा ताकि उन्हें यू. एस. अदालत द्वारा दिनांकित 30.07.2021 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में यू. एस. में वापस भेजा जा सके।

(ख) प्रत्यर्थी संख्या 3/सी. बी. आई. के निदेशक को नाबालिग बच्चों लक्ष्य गणेश और भाविन साई गणेश का पता लगाने और उन्हें इस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश जारी करें, क्योंकि

प्रत्यर्थी संख्या 2 का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 को किसी के साथ सहयोग करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

याचिकाकर्ता पूर्व पत्नी द्वारा नाबालिग बच्चों-लक्ष्य गणेश और भाविन साई गणेश को घर ले जाने के लिए नियुक्त किया गया।

एक समय सीमा के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका;

(घ) ऐसा अन्य आदेश या आगे के आदेश और निर्देश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय तथ्यों में उचित और उचित समझे और

मामले की परिस्थितियों और न्याय के हित में।

3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामला-माँ को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

निम्नानुसारः

4. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह सं। 2 31 अक्टूबर 2008 को चेन्नई, भारत में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार संपन्न किया गया था। शादी की तारीख से एक महीने के भीतर, पार्टियों ने भालू, डेलावेयर, यू. एस. ए. में प्रवास किया।

5. प्रत्यर्थी नं. 2 , प्रासंगिक समय पर, मैं सत्यम कंप्यूटर के साथ काम कर रहा था। मई 2009 में किसी समय पार्टियों ने परियोजना के रूप में चेन्नई, भारत लौटने के लिए विवश किया गया कि प्रतिवादी नं। 2 कंपनी में कुछ आंतरिक मुद्दों के कारण सत्यम कंप्यूटर के साथ काम करना बंद कर दिया गया था।

6. 7 अक्टूबर 2009 को, पार्टियों को लक्ष्य गणेश नाम की एक बेटी का आशीर्वाद मिला। अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि जनवरी 2012 में किसी समय, प्रतिवादी नं। 2 कान्सास, यू. एस. ए. में नौकरी हासिल करने में सक्षम था। 2012 से, पार्टियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रही हैं।

7. यह आगे प्रतीत होता है कि अप्रैल 2012 और नवंबर 2012 के बीच, प्रतिवादी नं। 2 कई नौकरियां खो दीं, और ऐसी परिस्थितियों में,

पार्टियों को कान्सास, यू. एस. ए. से बोस्टन, मैसाचुसेट्स, यू. एस. ए. में स्थानांतरित होना पड़ा। कुछ समय बाद, वे फाइंडले, ओहायो, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए। जनवरी 2012 में नाबालिग बेटी लक्ष्य गणेश ने ओवेन्स में अपना प्रीस्कूल शुरू किया। डे केयर, फाइंडले, ओहायो और उसके

बाद, लिंकन एलीमेंट्री स्कूल, फाइंडले, ओहायो में एक बालवाड़ी में भर्ती कराया गया। जबकि नाबालिग बेटी
[2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लक्ष्य किंडरगार्टन में पढ़ रहा था, वहाँ के शिक्षकों ने देखा कि लक्ष्य एक प्रतिभाशाली बच्चा था, यानी एक उल्लेखनीय आई. क्यू. स्तर वाला बच्चा। इसके बाद पार्टियों को 20 जुलाई 2013 को ब्लैंचार्ड वैली अस्पताल, फाइंडले में भाविन साई गणेश नाम के एक बेटे का आशीर्वाद मिला।

9. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह आठ अन्य लड़कियों और अपने नाबालिग बच्चों के साथ एक कमरे में रहने लगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में भाग लिया और उसे अपना और अपने नाबालिग बच्चों का पेट भरने और उनकी देखभाल करने के लिए दो नौकरियां करनी पड़ीं।

10. दिसंबर 2016 तक दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। यह उसका मामला है कि वह हर तरह से अपने बच्चों की देखभाल करती थी।

अगस्त 2016 में किसी समय, प्रतिवादी नं। 2 एक और नौकरी के लिए मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन चले गए और ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चों के साथ अकेले रहना पड़ा और उनकी देखभाल करनी पड़ी।

11. मई 2018 में, याचिकाकर्ता ने कंप्यूटर और सूचना विज्ञान में मास्टर पूरा किया और स्नातक भी प्राप्त किया।

3. 64 के जी. पी. ए. के साथ डेटा एनालिटिक्स में प्रमाण पत्र। उन्होंने जी एंड एस मेटल प्रोडक्ट्स के साथ काम करना शुरू किया। दूसरी ओर, अप्रैल 2019 में, प्रतिवादी नं। 2 - पिता मिशिगन, यू. एस. ए. में पूर्णकालिक नौकरी खोजने में कामयाब रहे। 12. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि एक बार प्रतिवादी नं। 2 मिशिगन, यू. एस. ए. में एक पूर्णकालिक नौकरी प्राप्त करने में सक्षम होने के बाद, उन्होंने नाबालिग बच्चों को ले जाने के विचारों की कल्पना करना शुरू कर दिया।

13. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 1 जून 2019 को प्रतिवादी नं। 2 नाबालिग बच्चों को उठाया और याचिकाकर्ता-माँ को सूचित किए बिना क्लीवलैंड, ओहियो से मिशिगन, यू. एस. ए. के लिए रवाना हो गए।

14. यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी नं। 2 नाबालिग बच्चों के दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता के पासपोर्ट, राज्य आईडी, घर की चाबी, कार की चाबी सहित सभी कानूनी दस्तावेज भी ले गए।

15. आरोप है कि याचिकाकर्ता को उसके ही घर में बंद कर दिया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ता के पास नहीं था

सहायता/निवारण, प्रत्यर्थी सं। 2 , मिशिगन, यू. एस. ए. के लिए रवाना होने से पहले, स्थानीय पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से बीमार थी और वह एक मानसिक वार्ड से भाग गई थी।

राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

16. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को तुरंत अस्थायी के लिए एक आपातकालीन प्रस्ताव दायर करने के लिए विवश किया गया था

कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज़, डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशंस, कुयाहोगा काउंटी, ओहियो के समक्ष तलाक की शिकायत के साथ नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा। संबंधित अदालत ने 17 जून 2019 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चों की अस्थायी हिरासत प्रदान की।

17. यह आरोप लगाया गया है कि ऊपर निर्दिष्ट सामान्य याचिकाओं की अदालत द्वारा इस तरह का आदेश पारित किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी नं। 2 कोई ध्यान नहीं दिया

इस तरह के आदेश के लिए और बच्चों को अपनी माँ से बात करने की अनुमति दिए बिना उन्हें दूर रखना जारी रखा।

18. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने नाबालिग बच्चों को उनके अधिकार क्षेत्र से हटाने पर रोक लगाने के लिए एक आपातकालीन प्रस्ताव भी दायर किया है।

ओहायो कोर्ट। संबंधित अदालत ने उसी तारीख, यानी 17 जून 2019 को याचिकाकर्ता के पक्ष में एक प्रतिबंध आदेश पारित किया।

19. जुलाई 2019 में किसी समय, सुश्री मेगन को अमेरिकी अदालत द्वारा संरक्षक-विज्ञापन-मुकदमे के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, आदेश देता है कि याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा पर प्रतिवादी नं. 2 .

20. अगस्त 2019 में, अमेरिकी न्यायालय ने पर्यवेक्षित यात्रा का निर्देश दिया और पक्षों को मानसिक मूल्यांकन विशेषज्ञों के पास भेजा। 21. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 17 जून 2019 के हिरासत आदेश के बावजूद उसके पक्ष में पारित किया गया, प्रतिवादी नं। 2 , अमेरिकी अदालत की अनुमति लिए बिना और याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना, नाबालिग बच्चों को ओहियो के विशेष स्कूल से हटा दिया

एलेगन, मिशिगन। ऐसा करते समय, प्रत्यर्थी नं। 2 याचिकाकर्ता की माँ का विवरण भी नहीं दिया, जिसमें उसका संपर्क नंबर आदि शामिल था, ताकि याचिकाकर्ता को उसके बच्चों से पूरी तरह से अलग किया जा सके।

22. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि इसके बाद प्रतिवादी नं। 2 धमकी देना शुरू कर दिया कि वह बच्चों को ले जाएगा

भारत के लिए। इस तरह की धमकियों के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय के ध्यान में आवश्यक तथ्य लाने के लिए विवश था। द. संबंधित अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों नाबालिग बच्चों का पासपोर्ट अदालत की हिरासत में रखा जाए।

23. उत्तरदाता के रूप में नहीं। 2 नाबालिग बच्चों को संयुक्त राज्य अमेरिका से हटाने में सक्षम नहीं था, उसने बच्चों को अलग करने का फैसला किया

याचिकाकर्ता-अपनी गैर-पर्यवेक्षित भेंट से इनकार करके माँ। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी नं। 2 बच्चों को [2022] 5 एस. सी. आर. तक पहुँचने से रोक दिया।

उनकी माँ और यह केवल विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता, डॉ. मार्क लोविंगर के हस्तक्षेप से था कि याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चों के साथ समय बिताने की अनुमति दी गई थी।

24. नवंबर 2019 में, दोनों विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं ने अपनी राय प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के साथ बिना किसी पर्यवेक्षण के समय बिताने के लिए उपयुक्त था।

बच्चे और प्रतिवादी द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप में कोई योग्यता नहीं थी। 2 .

25. फरवरी 2020 में, याचिकाकर्ता एक नई नौकरी प्राप्त करने में सक्षम था और प्रायोजन के माध्यम से एच 1 बी वीजा प्राप्त किया। याचिकाकर्ता वापस चला गया

ओहायो के फाइंडले में, जहाँ नाबालिग बेटे का जन्म हुआ था और वह बच्चों के लिए अच्छी सुविधाओं के साथ एक नया अपार्टमेंट सुरक्षित करने में सक्षम था। हालाँकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नं। 2 17 जून 2019 के अभिरक्षा आदेश का पालन करने में विफल रहा और नाबालिग बच्चों के लिए याचिकाकर्ता से बिना निगरानी के मिलने की सिफारिश करने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट का पालन करने में भी विफल रहा। यह आरोप लगाया जाता है कि प्रतिवादी नं। 2 बच्चों को याचिकाकर्ता के पास लाने से इनकार कर दिया और उसे केवल उसकी उपस्थिति में उनसे मिलने की अनुमति दी।

26. ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच एक साझा पालन-पोषण योजना तैयार की गई थी

पक्षकारों ने 12 मई 2021 के आदेश के माध्यम से कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज़, डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशंस, कुयाहोगा काउंटी, ओहियो द्वारा पारित किया। साझा पालन-पोषण का अर्थ है माता-पिता अधिकारों को साझा करते हैं और उनके बच्चों की शारीरिक और कानूनी देखभाल के सभी या कुछ पहलुओं के बारे में न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना में प्रदान की गई जिम्मेदारियां। माता और पिता एक साथ, एक साझा पालन-पोषण समझौते के तहत,

कुछ नियमों और शर्तों के अधीन न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अगले आदेश तक नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, देखभाल और नियंत्रण प्रदान किया जाता है। ऊपर उल्लिखित साझा पालन-पोषण योजना के आधार पर, दोनों पक्षों को अपने बच्चों की संयुक्त अभिरक्षा मिली। 12 मई 2021 की साझा पालन-पोषण योजना में यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। पक्ष दूसरे पक्ष की सहमति के बिना और अदालत की अनुमति के बिना 60 दिन की पूर्व सूचना के माध्यम से स्थानांतरित नहीं होने पर सहमत हुए और बच्चों के पासपोर्ट गैर-संरक्षक माता-पिता के साथ बारी-बारी से रहने थे, जबकि बच्चे दूसरे की हिरासत में थे।

माता-पिता।

27. ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच 27 जुलाई 2021 को एक अलगाव समझौता भी किया गया था। 28 जुलाई 2021 को,

उत्तरदाता नं। 2 एक सूचना के रूप में अमेरिकी अदालत को एक ईमेल भेजा कि वह अपने नाबालिग बच्चों को छुट्टी पर भारत ले जाना चाहता है और याचिकाकर्ता-माँ से बच्चों को तीन सप्ताह तक रखने के लिए कहा।

राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

28. 15 अगस्त 2021 को, प्रतिवादी नं। 2 एक यात्रा कार्यक्रम पोस्ट किया। याचिकाकर्ता ने देखा कि यात्रा कार्यक्रम ऐसा था कि बच्चे एक सप्ताह तक स्कूल नहीं जाएँगे। याचिकाकर्ता ने यात्रा कार्यक्रम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नं. 2 अपनी छुट्टी के लिए भारत जाने के लिए, और उस अवधि के दौरान, बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे।

29. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी नं। 2 , इसके बावजूद, स्थानीय पुलिस से झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि

याचिकाकर्ता एक कथित मानसिक बीमारी के कारण अपने बच्चों को नुकसान पहुँचा रही थी। स्थानीय पुलिस ने कॉल का जवाब दिया और उचित सत्यापन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बच्चे स्वस्थ थे और याचिकाकर्ता द्वारा उनकी अच्छी देखभाल की गई थी। तदनुसार मामला बंद कर दिया गया।

30. ऐसा प्रतीत होता है कि 16 अगस्त 2021 को प्रतिवादी नं. 2 पुलिस में एक और शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता को उसे छोड़ना पड़ा

नाबालिग बच्चों के साथ घर ताकि उसके वकील से परामर्श किया जा सके। जब वह चली गई थी तो उसने अपने दोस्त से अपने बच्चों की देखभाल करने का अनुरोध किया। जब याचिकाकर्ता का दोस्त याचिकाकर्ता के घर पहुंचा तो बच्चे कहीं नहीं मिले। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने तुरंत ओहियो के फाइंडले में अमेरिकी पुलिस को फोन किया। 10 बजेः 00 पीएम। , उत्तरदाता नं. 2 याचिकाकर्ता को सूचित किया कि बच्चे मिशिगन में हैं।

31. याचिकाकर्ता का मामला है कि 16/17 अगस्त 2021 को 2 बजेः 55 सुबह, उसे अपनी नाबालिग बेटी लक्ष्य से एक परेशान करने वाला फोन आया गणेश की उम्र 12 साल है। याचिकाकर्ता ने देखा कि उसकी नाबालिग बेटी लक्ष्य गणेश फोन पर रो रही थी। नाबालिग बेटी ने याचिकाकर्ता-माँ को यह भी बताया कि वह शिकागो में है और पिता उन्हें भारत ले जाने का इरादा रखते हैं। याचिकाकर्ता यह सुनकर हैरान रह गई कि उसकी बेटी ने फोन पर क्या सूचित किया था, क्योंकि प्रतिवादी नं। 2 उनके अनुसार 19 अगस्त 2021 से पहले भारत की यात्रा करने का कार्यक्रम नहीं था

यात्रा कार्यक्रम। नाबालिग बेटी ने याचिकाकर्ता-माँ को बताया कि प्रतिवादी नहीं। 2 - पिता ने एक गलत यात्रा कार्यक्रम भेजा था।

33. 18 अगस्त 2021 को, प्रतिवादी संख्या से पूरी तरह अनजान होना। 2 नाबालिग बच्चों के साथ भारत के लिए रवाना होने के बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत प्रतिवादी को रोकने के लिए एक आपातकालीन प्रस्ताव पेश किया। 2 संयुक्त राज्य अमेरिका से नाबालिग बच्चों को हटाने से।

संबंधित अदालत ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के बाद, याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने प्रत्यर्थी संख्या के यात्रा कार्यक्रम की पुष्टि करने के लिए एतिहाद एयरवेज से संपर्क किया। 2 और पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नं। 2 गलत था।

34. याचिकाकर्ता को बाद में पता चला कि प्रतिवादी नं। 2 नाबालिग बच्चों के साथ 17 अगस्त 2021 को पहले ही उनके खिलाफ उड़ान भर चुका था

अपने स्वयं के यात्रा कार्यक्रम। प्रत्यर्थी नं. 2 उन्हें 19 अगस्त 2021 को रवाना होना था। 35. याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 के बीच फोन पर अपनी नाबालिग बेटी से संपर्क करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन

उसका फोन बंद पाया गया। 21 अगस्त 2021 को, याचिकाकर्ता को उसकी नाबालिग बेटी का फोन आया जिसमें उसने याचिकाकर्ता की मां से उसे अमेरिका वापस ले जाने की गुहार लगाई।

36. याचिकाकर्ता-माँ ने अपनी नाबालिग बेटी को सांत्वना दी कि वह घबराए नहीं या प्रतिवादी नं. 2 - पिता कम वह उसे नुकसान पहुँचाएगा। द.

याचिकाकर्ता को उसकी नाबालिग बेटी ने भी सूचित किया कि प्रतिवादी नं। 2 पहले उन्हें चेन्नई में किसी के घर ले गया था और उसके बाद अपने दादा के घर जाने की योजना बना रहा था।

37. इस स्तर पर, हम याचिकाकर्ता द्वारा किए गए शब्दशः कथन को फिर से प्रस्तुत करना चाहेंगे जैसा कि क्रमशः पैराग्राफ 25 से 28 में निहित है। हम आवश्यक कथनों को इस प्रकार उद्धृत करते हैं:

" 25. कि याचिकाकर्ता पूर्व-पत्नी को जानबूझकर रखा गया है

2019 से बच्चों से दूर और अंत में जब

निपटान समझौता/अदालत में समझौता याचिकाकर्ता पूर्व पत्नी को नाबालिग बच्चों की संगति का आनंद लेने की अनुमति देता है जो प्रतिवादी नं। 2 उसे वंचित कर दिया था, नाबालिग बच्चों को अब प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपहरण कर लिया गया है और अवैध रूप से अमेरिका से हटा दिया गया है। कि प्रतिवादी संख्या 2 ने जानबूझकर समझौता समझौते की शर्तों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए नाबालिग बच्चों के कानूनी दस्तावेजों को छोड़ दिया दिनांकित 30.07.2021 और नाबालिग बेटी की पहचान बंद कर दी

याचिकाकर्ता पूर्व पत्नी के साथ संचार के किसी भी और हर चैनल को अवरुद्ध करने के लिए फोन। प्रत्यर्थी संख्या 2 में याचिकाकर्ता पूर्व पत्नी को किसी भी हद तक परेशान करने और प्रताड़ित करने की उन्मादी प्रवृत्ति है और इस अंतिम प्रहार में याचिकाकर्ता पूर्व पत्नी से बदला लेने के लिए बच्चों का एक हथियार के रूप में दुरुपयोग किया गया है।

जेस्वारी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

26. नाबालिग बच्चे वर्तमान में कहीं नहीं मिल रहे हैं और याचिकाकर्ता के पिता ने सभी संभव प्रयास किए हैं

चेन्नई में नाबालिग बच्चों का पता लगाएं। याचिकाकर्ता पूर्व-पत्नी के पिता ने नाबालिग बच्चों का पता प्रत्यर्थी संख्या 2 के भाई के घर यानी तृप्ति में प्रत्यर्थी संख्या 3 तक लगाने की कोशिश की।

अपार्टमेंट, एप्ट No.20, मार्शल एन्क्लेव, 15/8 एग्मोर, चेन्नई लेकिन गार्ड ने उन्हें बताया कि उक्त घर दो बच्चों के साथ खाली कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 2 के माता-पिता के घर यानी प्रत्यर्थी संख्या 2 पर भी जाँच की। 5'5 नंबर, स्टेट बैंक कॉलोनी, ए. ए. रोड, विरुधुनगर, तमिलनाडु में बच्चों का घर, हालाँकि, यहाँ बच्चे भी नहीं मिले थे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 नाबालिग बच्चों के साथ अमेरिका से भाग गया है और याचिकाकर्ता के लिए पूरी तरह से अज्ञात देश में घूम रहा है।

माँ और उन नाबालिग बच्चों को पूरा नुकसान पहुँचाने के लिए जो अमेरिका में अपने स्कूल और अपने घर को याद कर रहे हैं। याचिकाकर्ता पूर्व पत्नी को नाबालिग बच्चों की संगति से वंचित रखने में प्रतिवादी संख्या 2 और उनके परिवार ने हाथ मिलाया है। याचिकाकर्ता के पिता ने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के डर से पुलिस अधीक्षक, कलेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स, विरुधुनगर, तमिलनाडु को 13.09.2021 पर शिकायत की है कि वे उन नाबालिग बच्चों की खोज के मामले की जांच करें जिन्हें उनके माता-पिता से अवैध रूप से हटा दिया गया है।

राष्ट्र।

बच्चे न तो तृप्ति अपार्टमेंट, एग्मोर, चेन्नई में प्रतिवादी संख्या 4 के निवास पर पाए जा सके और न ही दादा यानी प्रतिवादी संख्या 5 के निवास पर। इसके अलावा अब याचिकाकर्ता पूर्व-पत्नी को भी इसके माध्यम से पता चला है ओहायो, यू. एस. ए. में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 महाराष्ट्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रहा है और पेरिगो, एलेगन, मिशिगन, यू. एस. ए. में अपनी नौकरी को महाराष्ट्र, भारत में स्थानांतरित कर दिया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चों और प्रतिवादी के ठिकाने के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है

नहीं। 2 .

28. नाबालिग बच्चों को उनसे दूर रखा जा रहा है।

याचिकाकर्ता पूर्व-पत्नी जिनके पास माता-पिता के समान अधिकार हैं और निपटान में निर्धारित नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारियाँ

दिनांकित समझौता 30.07.2021। उत्तरदाता नं. 2

पूर्व पति जानबूझकर अमेरिकी अदालत के आदेशों की अवज्ञा कर रहा है

न केवल भारत में कहीं न कहीं नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर

निपटान समझौते के विपरीत लेकिन इसके खिलाफ भी उन नाबालिग बच्चों की इच्छाएँ और हित जो

उत्तरदाता के आधार पर उनके समाज से छीन लिया गया

पूर्व-पति की सनक। अमेरिकी न्यायालय एकमात्र ऐसा न्यायालय है जिसके पास

बच्चों के रूप में नाबालिग बच्चों पर अधिकार क्षेत्र

संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थायी नागरिक और नाबालिग बेटा भाविन साई

गणेश संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं और उनके पास एक अमेरिकी है।

पासपोर्ट। बच्चों की शिक्षा को नुकसान हो रहा है।

याचिकाकर्ता के बावजूद अमेरिका से मध्यावधि में किया गया अपहरण

पूर्व-उत्तरदाता को नंबर 2 बनाने के लिए पत्नी के लगातार प्रयास

अपने कार्यों के निहितार्थ को समझें, प्रतिवादी

नंबर 2 पूर्व-पति अनुत्तरदायी और अनुपलब्ध हो गया है

बच्चों के साथ।

38. यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पैराग्राफ 26 में हमारे द्वारा ऊपर उल्लिखित साझा योजना अंततः ओहियो के न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता-माँ के कहने पर 9 फरवरी के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई। हम ओहायो में न्यायालय द्वारा किए गए कुछ प्रासंगिक दानों को नीचे उद्धृत करते हैं:

" 33. बच्चों को वापस करने में प्रतिवादी/पिता की विफलता

भारत ने सहमति आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया था, जो इस प्रकार है:

बी। प्रतिवादी/पिता साझा माता-पिता योजना के भाग I (C) (3) का सम्मान करने में विफल रहे, जिसके तहत उन्होंने "माता-पिता को अनुमति देने" का संकल्प लिया। बच्चों को उचित आधार पर टेलीफोन करना।

सी। प्रतिवादी/पिता साझा पालन-पोषण योजना के भाग I (C) (4) का सम्मान करने में विफल रहे, जिसके लिए उन्होंने वचन दिया था

" दूसरे माता-पिता के साथ खुले तौर पर, ईमानदारी से संवाद करें, और जेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नियमित रूप से गलतफहमी से बचने के लिए जो हानिकारक हैं

बच्चों के लिए।

डी। प्रतिवादी/पिता साझा पालन-पोषण योजना के भाग I (C) (7) का सम्मान करने में विफल रहे, जिसके तहत उन्होंने "नहीं करने" का संकल्प लिया।

सजा के रूप में दूसरे माता-पिता के साथ समय रोकें बच्चे या अन्य माता-पिता "।

ई. प्रतिवादी/पिता साझा पालन-पोषण योजना के भाग I (C) (10) (a) का सम्मान करने में विफल रहे, जिसके तहत उन्होंने सम्मान करने का संकल्प लिया। दोनों के साथ निरंतर संबंध रखने के लिए बच्चों के अधिकार

माता-पिता।

एफ. प्रतिवादी/पिता साझा पालन-पोषण योजना के भाग I (C) (g) का सम्मान करने में विफल रहे, जिसके तहत उन्होंने बच्चों के "नियमित और सुसंगत अनुभव" के अधिकारों का सम्मान करने का संकल्प लिया।

माता-पिता दोनों से संपर्क करें और कारण जानने का अधिकार

किसी भी रद्द करने या योजनाओं में बदलाव के लिए।

जी. प्रतिवादी/पिता ने माता-पिता के पालन-पोषण का समय रोक दिया है

वादी/माँ, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। : एच. प्रतिवादी/पिता ने कभी भी बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया।

वादी/माँ को पासपोर्ट।

34. यह दोनों बच्चों के हित में है कि उन्हें वापस कर दिया जाए

संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में तुरंत।

35. बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति से परिचित हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में अध्ययन करते हुए समृद्ध हुए हैं। इसके अलावा, नाबालिग बच्चों ने

संयुक्त राज्य अमेरिका में मित्र, और संयुक्त राज्य अमेरिका के परिवेश के अनुकूल हैं।

36. प्रतिवादी/पिता ने साझा माता-पिता योजना का उल्लंघन किया

यात्रा कार्यक्रम की तीन सप्ताह पूर्व सूचना देने में विफल।

37. प्रतिवादी/पिता ने साझा माता-पिता योजना का उल्लंघन किया

वादी/माँ के पास पासपोर्ट रखने में विफलता

38. प्रतिवादी/पिता बच्चों को गुप्त रूप से ले गए

भारत, एक ऐसा देश जिसके बारे में बच्चों को बहुत कम जानकारी थी।

39. साझा पालन-पोषण के प्रमुख घटकों में से एक योजना यह है कि वादी और प्रतिवादी लगातार

अपने बच्चों के सर्वोत्तम हितों के बारे में संवाद करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी/पिता वादी/माँ के साथ संवाद करने में विफल रहे हैं। वादी/माँ को यह नहीं पता कि उसके नाबालिग बच्चे कहाँ रह रहे हैं या क्या प्रतिवादी/पिता कभी उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका वापस करने का इरादा रखते हैं।

वादी/माँ और बिना किसी वापसी की योजना के। 41. साझा पालन-पोषण योजना को समाप्त करना बच्चों के सर्वोत्तम हित में है।

42. यह वादी/माँ के लिए बच्चों के सर्वोत्तम हित में है कि

इसके लिए आदेश दिया गया है, निर्णय लिया गया है और निर्णय लिया गया है वहः

1. साझा को समाप्त करने के लिए वादी/माँ का प्रस्ताव

माता-पिता की योजना और वादी को आवासीय माता-पिता और कानूनी संरक्षक (संख्या 444481) के रूप में नामित करना नाबालिग बच्चों के सर्वोत्तम हित में दिया जाता है।

2. वादी/माँ, राजेश्वरी चंद्रसेकर एतद्वारा

बेटी लक्ष्य गणेश, डीओबी 10/7/2009 और बेटे के आवासीय माता-पिता और कानूनी संरक्षक के रूप में नामित

बाबविनसाई गणेश, डीओबी 7/20/2013। 3. प्रतिवादी/पिता बच्चों को वादी/माँ के साथ संवाद करने के लिए तुरंत उपलब्ध कराएंगे और बच्चों और उनकी माँ के बीच दैनिक संचार की अनुमति देंगे जब तक कि बच्चे उसकी अभिरक्षा में न हों।

4. प्रतिवादी/पिता तुरंत बच्चों के पासपोर्ट वादी/माँ को या वैकल्पिक व्यवस्था में वापस कर देंगे।

बच्चों के पासपोर्ट को भारतीय न्यायालय या भारत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को सौंपने के लिए। वादी/माँ प्रतिवादी/पिता की सहमति के बिना नाबालिग बच्चों के लिए प्रतिस्थापन पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं।

5. प्रतिवादी/पिता सभी परिवहन लागतों को वहन करेंगे। वादी/माँ द्वारा निर्धारित किए जाने वाले यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों की वापसी।

6. प्रतिवादी/पिता एक स्वतंत्र व्यक्ति के समक्ष समर्पण करेंगे।

देबाल्जो, एलुग्डिन, लेविन, राइज़ेन जेस्वारी चंद्रसेकर गणेश बनाम में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एल. एल. सी., Dr.Mark लविंगर के निर्धारण के लिए

प्रतिवादी/पिता की नाबालिग बच्चों की उचित देखभाल करने और उनके सह-माता-पिता बनने की क्षमता, जिसमें मनोवैज्ञानिक और रासायनिक मूल्यांकन शामिल होगा, जैसा कि उचित समझा जाता है।

पिता का खर्च।

7. नाबालिग बच्चों के साथ प्रतिवादी/पिता की भेंट है

निलंबित कर दिया गया जब तक कि यह न्यायालय यह निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या मुलाकात है उचित है।

8. वादी/माँ सभी गैर-आपात स्थितियों के लिए जिम्मेदार होंगी।

चिकित्सा संबंधी निर्णय, आपातकालीन चिकित्सा संबंधी निर्णय और

9. स्कूल के उद्देश्यों के लिए, वादी/माँ का निवास होगा बच्चों के लिए विद्यालय में नामांकन निर्धारित करें।

10. यह आदेश किसी भी और सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा लागू किया जा सकता है, जिसमें संघीय ब्यूरो ऑफ

जाँच, राज्य विभाग और आप्रवासन प्राधिकरण

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में।

11. यह मामला वादी/पर आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा।

कारण दिखाने के लिए माँ का प्रस्ताव, 27 सितंबर, 2021 को दायर किया गया

(सं. 444480), और वादी/माँ का अनुरोध

परिवर्तन के लिए ओ. आर. सी. § 3105.73 के अनुसार वकील की फीस

अभिरक्षा प्रस्ताव "।

39. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-माता ई इस न्यायालय के समक्ष भारत के अनुछेद के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका के साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करती है।

40. 28 सितंबर 2021 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया

ई उत्तरदाता, इसे दो सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाते हैं।

41. 8 दिसंबर 2021 को स्थानीय लोगों की ओर से समय की प्रार्थना की गई। 2 , 4 और 5 क्रमशः जवाबी-शपथ पत्र दाखिल करने के लिए। प्रत्यर्थियों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन बार समय दिया गया था।

42. 28 जनवरी 2022 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः " इस मामले को 04.02.2022 पर सूचीबद्ध करें, जैसा कि इस बीच, प्रतिवादी नं. 2 आशा व्यक्त की है कि वह

उत्तरदाता को प्रभावित करने में सक्षम होगा नहीं। 2 लेने के लिए

के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए उचित उपाय पार्टियाँ स्वयं। "[2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. 28 फरवरी 2022 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" मध्यस्थ की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पक्ष थे

एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने में असमर्थ। फिर भी, इस न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन के सम्मान में, प्रतिवादी (ओं) के विद्वान वकील कुछ के लिए प्रार्थना करते हैं

पक्षों के बीच कुछ व्यावहारिक व्यवस्था का पता लगाने के लिए अधिक समय।

चूंकि प्रत्यर्थी (ओं) ने इस संबंध में इच्छा दिखाई है, इसलिए हम इस मामले की सुनवाई को 04.04.2022 तक टाल देते हैं। 44. 8 अप्रैल 2022 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" प्रत्यर्थी सं. के लिए विद्वान वकील। 2 प्रस्तुत किए गए निर्देशों पर

वह उत्तरदाता नहीं। 2 एक सप्ताह का और समय मांग रहा है

याचिकाकर्ता के साथ बातचीत करें और सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने का प्रयास करें यदि संभव हो तो व्यवस्था करें।

नतीजतन, हम उत्तरदाता को एक और मौका देते हैं। 2 , के रूप में

प्रार्थना की।

इस मामले को 02.05.2022 पर सूचीबद्ध करें। "

45. 2 मई 2022 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" भोग के माध्यम से और विद्वानों के आग्रह पर

निजी उत्तरदाताओं के वकील, हम इस मामले की सुनवाई को 13 मई 2022 तक टाल देते हैं।

हम यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि आगे कोई अनुरोध नहीं

भविष्य की तारीख में निजी उत्तरदाताओं के कहने पर स्थगन पर विचार किया जाएगा।

46. इस प्रकार, चूंकि पक्ष एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर नहीं पहुंच पाए

आखिरकार मामले की सुनवाई 13 मई 2022 को हुई।

उत्तरदाता संख्या 2 की स्थितिः

47. प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान याचिका जिसमें अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा की मांग की गई है ताकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भेजा जा सके, कानून की प्रक्रिया के

दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और इसे कम करने योग्य नहीं है। प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , वर्तमान याचिका अप्राप्य है क्योंकि भारत हेग समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। हेग समझौते के प्रावधान भारतीय पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं

अदालतें।

राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

48. प्रत्यर्थी नं. 2 याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के लिए बच्चों के साथ भारत की अपनी यात्रा के बारे में पूर्व सूचना दी थी।

गृह देश के लिए उड़ान भरने से पहले एक पारगमन स्थान में 14 दिनों का ठहराव आवश्यक बनाया गया था। प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , यह ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण है कि उन्हें त्वरित परिवर्तन करने पड़े यात्रा की योजना, आर. टी. पी. सी. आर. परीक्षण आदि प्राप्त करें और फिर मध्य पूर्व में 14 दिनों के ठहराव से बचने के लिए भारत की यात्रा करें, जिससे बहुत सारे नुकसान होते।

तीन बच्चों के लिए वित्तीय बोझ सहित बच्चों को असुविधा

लोग।

49. यह प्रतिवादी नं. का मामला है। 2 कि उसके साथ बच्चों की हिरासत को किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है। द.

पिता के साथ नाबालिग बच्चों की हिरासत को कभी भी गैरकानूनी या अवैध नहीं कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , अवकाश की योजना याचिकाकर्ता की स्पष्ट सहमति से बनाई गई थी-माँ और दोनों बच्चों ने 17 अगस्त को अपनी माँ, यानी याचिकाकर्ता से बात की थी।

2021 भारत जाने से पहले। इसके बाद भी, बच्चों ने भारत आने पर 22 अगस्त 2021 को याचिकाकर्ता-माँ से बात की। पूरे समय, याचिकाकर्ता को नाबालिग के ठिकाने के बारे में सूचित किया जाता रहा

बच्चे।

50. प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , यह मुकदमा और कुछ नहीं बल्कि याचिकाकर्ता की ओर से कई मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का परिणाम है। प्रत्यर्थी नं. 2 याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उसे कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का पता चला है और अवसाद, द्विध्रुवी के इलाज के लिए कई मुद्दों के लिए दवा ले रही है।

विकार, स्किज़ोफ्रेनिया, जुनूनी बाध्यकारी विकार, आदि। प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , यह याचिकाकर्ता के अनियमित व्यवहार के परिणामस्वरूप उसकी नौकरी चली गई है। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या के नियोक्ता से संपर्क किया था। 2 , अर्थात् पेरिगो, एलेगन, मिशिगन, यू. एस. ए. और एक परेशान करने वाला दृश्य बनाया, जिसके परिणामस्वरूप

प्रत्यर्थी की समाप्ति सं। 2'तत्काल प्रभाव से रोजगार। उत्तरदाता के रूप में नहीं। 2 न तो वह अमेरिकी नागरिक है और न ही वह ग्रीन [2022] 5 एस. सी. आर. है।

कार्ड धारक, नौकरी छूटने का मतलब है कि वह वर्क परमिट के बिना अमेरिका वापस नहीं जा सकता है।

51. यह प्रतिवादी नं. का मामला है। 2 कि यह याचिकाकर्ता है जिसने मरम्मत से परे स्थिति पैदा की, जिसके कारण अंततः

वीजा रद्द करना।

52. प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , वह अमेरिका वापस जाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उसके पास अमेरिका पहुंचने और आजीविका शुरू करने का कोई साधन नहीं है। बिना किसी स्थायी नौकरी के। उनके अनुसार, वह याचिकाकर्ता के कथित मानसिक विकार को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को उनकी मां यानी याचिकाकर्ता के पास वापस जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , याचिकाकर्ता की मानसिक बीमारी नाबालिग बच्चों के भावनात्मक और विकासात्मक विकास के जोखिम को बढ़ा सकती है। यह प्रतिवादी नं. का मामला है। 2 कि दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के साथ भारत में रहकर बहुत खुश हैं। दोनों बच्चों को चेन्नई के एक बहुत अच्छे स्कूल में भर्ती कराया गया है। उनकी शिक्षा का सर्वोत्तम संभव तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। रिट याचिका के ज्ञापन में लगाए गए अन्य सभी आरोपों का खंडन किया गया है।

53. प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 2 , उन्हें 2 सितंबर को बच्चों के साथ शिकागो लौटना था। उन्होंने एतिहाद के टिकटों की पुष्टि की थी।

एयरवेज, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अनावश्यक शोर-शराबे के लिए, एक ऐसी स्थिति लाई गई जिसके द्वारा प्रतिवादी नहीं। 2 उन्होंने अपनी नौकरी खो दी और परिणामस्वरूप, वर्क परमिट रद्द कर दिया गया।

54. ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रतिवादी सं। 2 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका हैबियस कॉर्पस की रिट की मांग करना विचारणीय नहीं है। यह बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि पिता अपने बच्चों का स्वाभाविक संरक्षक होने के नाते, पिता की अभिरक्षा को नाबालिग बच्चों पर अवैध या गैरकानूनी प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। उस संदर्भ में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। यह प्रतिवादी नं. का मामला है। 2 कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के एक रिट से पहले

जारी किया जा सकता है, यह दिखाना होगा कि या तो गैरकानूनी हिरासत या हिरासत है या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए एक आसन्न या गंभीर खतरा है, खासकर यदि वह नाबालिग है।

55. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि प्रत्यर्थी के उत्तर के लिए एक प्रत्युत्तर भी दायर किया गया है। 2 . कुछ अतिरिक्त शपथपत्र भी हैं प्रतिवादी नं. द्वारा दायर किया गया। 2 , ऊपर जो उल्लेख किया गया है, उसे मोटे तौर पर दोहराते हुए।

राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

याचिकाकर्ता के स्वयं के बारे में निवेदनः

और अपनी इच्छाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती है। नाबालिग बेटी यू. एस. ए. की स्थायी निवासी है और अमेरिका में रह रही है, पढ़ाई कर रही है और सामाजिक संबंध बना रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका। नाबालिग बेटी लक्ष्य की उसके पिता के साथ अभिरक्षा, यानी प्रतिवादी नं। 2 , इसे अवैध कहा जा सकता है क्योंकि यह 30 जुलाई 2021 के निपटान समझौते के खिलाफ है जो अमेरिकी अदालत के समक्ष पक्षों द्वारा और उनके बीच पारस्परिक रूप से तय किया गया था। प्रत्यर्थी नं. 2 – पिता अमेरिकी अदालतों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लंघन करके बच्चों की हिरासत बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। वह अपनी गलतियों का लाभ उठाने वाला नहीं हो सकता।

57. नाबालिग बेटा भाविन साई गणेश एक अमेरिकी नागरिक है जिसके पास अमेरिकी पासपोर्ट है और इसलिए, वह आम तौर पर अमेरिका का निवासी है।

सच होने से। यदि याचिकाकर्ता को कोई मानसिक समस्या थी और प्रतिवादी को नहीं। 2 अपने दो नाबालिग बच्चों के हित और कल्याण के बारे में इतना चिंतित था कि उसके लिए 30 जुलाई 2021 के निपटान समझौते के लिए जाने का कोई उचित कारण नहीं था। प्रत्यर्थी नं. 2 इसे अमेरिकी अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की घोर और घोर अवमानना कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि उसने नाबालिग बच्चों की हिरासत को अवैध रूप से रखा था। उनके अधिनियम ने याचिकाकर्ता को एक के रूप में वंचित कर दिया है माता-पिता की साझा पालन-पोषण योजना और माता-पिता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के आवंटन के अनुसार अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल करना।

59. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जौहर ने प्रस्तुत किया कि इन सबके बावजूद भी प्रतिवादी नहीं। 2 किया है,

याचिकाकर्ता अभी भी साझा पालन-पोषण योजना और माता-पिता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के आवंटन का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक है। प्रत्यर्थी नं.

जल्द से जल्द, दोनों नाबालिग बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौटना चाहिए और अमेरिकी अदालतों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों, विशेष रूप से, साझा पालन-पोषण योजना का पालन करना चाहिए।

60. विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि प्रत्यर्थी नहीं। 2 संबंधित अधिकारियों को इंगित करते हुए जल्द से जल्द नए वीजा के लिए आवेदन करने के लिए कहा जाना चाहिए कि वह दोनों नाबालिग बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के लिए कर्तव्यबद्ध है ताकि साझा पालन-पोषण योजना का पालन किया जा सके।

और वह आदेश जो इस न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। 61. विद्वान वकील श्री जौहर ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित मामले-कानून पर मजबूत निर्भरता रखी हैः

(1) एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम। अरविंद एम. दिनशॉ, (1987) 1 एससीसी 42;

(2) वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ और अन्य,

(2010) 1 एससीसी 174;

(3) शिल्पा अग्रवाल बनाम। अविरल मित्तल,

(5) सुरिंदर कौर संधू बनाम। हरबक्स सिंह संधू, (1984) 3 एससीसी 698।

स्वयं जवाबदेह के बारे में सुझाव

नंबर 2: 62. सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील। 2 , 4 और दूसरी ओर, 5 ने इस रिट याचिका का इस आधार पर जोरदार विरोध किया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की मांग उनके पिता के साथ दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के रूप में बनाए रखने योग्य नहीं है, अर्थात प्रतिवादी नं। 2 , इसे अवैध या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता है।

63. सुश्री अरोड़ा ने कहा कि आज की तारीख में दोनों नाबालिग बच्चे चेन्नई में अच्छी तरह से बसे हुए हैं। उनकी सर्वोत्तम संभव तरीके से देखभाल की जा रही है। उन्हें चेन्नई के एक बहुत अच्छे स्कूल में भर्ती कराया गया है। दोनों नाबालिग बच्चे अब अच्छी तरह से बस गए हैं और उन्हें अचानक अमेरिका वापस ले जाने से उन पर शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत भारी असर पड़ेगा।

राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इस तरह के पक्ष के प्रामाणिक और समग्र आचरण के लिए। 65. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि यह याचिकाकर्ता है जिसने ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें प्रतिवादी नं। 2 अब है

संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने और एक नया जीवन शुरू करने की स्थिति में नहीं। प्रत्यर्थी नं. 2 उसके पास कोई वर्क परमिट नहीं है क्योंकि उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई है। यह याचिकाकर्ता है जो प्रतिवादी संख्या की सेवाओं की समाप्ति के लिए जिम्मेदार है। 2 उस कंपनी से जहाँ वे पहले सेवारत थे। वह।

प्रस्तुत करेंगे कि, आज की तारीख में, यदि प्रतिवादी नहीं। 2 - पिता को अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के लिए कहा जाता है और यदि प्रतिवादी नहीं। 2 यदि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने की स्थिति में नहीं है, तो उसे भारत वापस आना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों नाबालिग बच्चों को अपनी माँ के साथ अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक होगा जो विभिन्न मानसिक विकारों से पीड़ित है। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि ऐसी परिस्थितियों में पिता को अपने बच्चों के प्रति अपने प्यार और स्नेह और पर्यवेक्षण से क्यों वंचित किया जाना चाहिए।

66. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह याचिकाकर्ता के लिए हमेशा खुला रहता है-माँ

दोनों नाबालिग बच्चों को अमेरिका वापस आने पर जोर देने के बजाय भारत की यात्रा करने और अपने नाबालिग बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए।

निथ्या आनंद राघवन बनाम का मामला राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और दूसरा, (2017) 8 एस. सी. सी. 454, कि एक तरफ जैसे मामलों में सर्वोपरि विचार नाबालिग बच्चे का कल्याण होना चाहिए-जिनके संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका एक या दूसरे माता-पिता द्वारा पसंद की जाती है। अन्य विचार जैसे न्यायालयों की समिति; किसी व्यक्ति की अभिरक्षा के संबंध में मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित आदेश। नाबालिग बच्चा; माता-पिता और बच्चे की नागरिकता; 'अंतरंग संबंध'; जिस तरह से बच्चे को भारत में लाया जाता है, अर्थात। भले ही वह अंदर हो

विदेशी अधिकार क्षेत्र में सक्षम अदालत के आदेश का उल्लंघन, बच्चे के कल्याण के विचार को ओवरराइड नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक की जिम्मेदारी है

अदालत, जो माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, और बच्चे को विदेशी अधिकार क्षेत्र में वापस करने के निर्देश के परिणामस्वरूप बच्चे को कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य नुकसान नहीं होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि यदि यह नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण में नहीं है तो उसे वापस जाना चाहिए

विदेशी अधिकारिता, और इस तरह का निर्देश देने से उसे नुकसान होगा

कल्याण में हित, अन्य विचार और सिद्धांत जो इस न्यायालय को नाबालिग बच्चे को विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस करने का निर्देश देने के पक्ष में विचार करने के लिए राजी कर सकते हैं, कम हो जाएंगे और न्यायालय बच्चे को विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थान पर वापस करने का निर्देश नहीं देगा।

69. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री अरोड़ा, सं। 2 , 4 और 5 क्रमशः प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषणः

70. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता अनुरोध किए गए किसी भी राहत का हकदार है?

सरकार के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत

पार्टियाँः

71. संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 को मुख्य रूप से भारत में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून को ध्यान में रखते हुए उस समय लागू विभिन्न अधिनियमों को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालाँकि, इसने वार्डों के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया और उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में निहित किसी भी शक्ति को नहीं छीन लिया। अधिनियम के तहत एक 'नाबालिग' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम, 1875 के प्रावधानों के तहत, यह माना जाना है कि उसने अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया है। एक 'अभिभावक' को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो नाबालिग के व्यक्ति या उसकी संपत्ति या उसके व्यक्ति और संपत्ति दोनों की देखभाल करता है। अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान किया गया है कि अधिनियम में किसी भी प्रावधान का अर्थ नाबालिग के व्यक्ति या संपत्ति, या दोनों के संरक्षक को नियुक्त करने की किसी भी शक्ति से छीनना या अपमानित करना नहीं होगा, जो उस कानून द्वारा मान्य है जिसके लिए नाबालिग है।

विषय है। धारा 7 न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है कि यदि वह संतुष्ट है कि वह

यह एक नाबालिग के कल्याण के लिए है कि एक आदेश दिया जाना चाहिए, यह उसके व्यक्ति या संपत्ति, या दोनों के संरक्षक को नियुक्त करने का आदेश दे सकता है, या किसी व्यक्ति को ऐसा संरक्षक घोषित कर सकता

है। धारा 8 में कहा गया है कि धारा 7 के तहत कोई आदेश नाबालिग या नाबालिग के अभिभावक होने के इच्छुक या होने का दावा करने वाले व्यक्ति के आवेदन के अलावा नहीं दिया जाएगा।

नाबालिग का रिश्तेदार या मित्र या जिले का कलेक्टर जिसमें

कोई भी राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नाबालिग आमतौर पर रहता है या जिसमें उसकी संपत्ति है या कलेक्टर जिसके पास उस वर्ग के संबंध में अधिकार है जिससे नाबालिग संबंधित है। धारा 9 न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित है। धारा 10 में आवेदन करने का तरीका और आवेदन में क्या कहा जाना है, यह बताया गया है। धारा 11 में ऐसे आवेदन को स्वीकार करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 12 न्यायालय को अपने व्यक्ति और संपत्ति के नाबालिग और अंतरिम संरक्षण को पेश करने के लिए अंतर्वर्ती आदेश देने की शक्ति देती है। धारा 17 अदालत को नाबालिग के व्यक्तिगत कानून का उचित सम्मान करने और विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर ध्यान देने का आदेश देती है जो दोनों में से किसी में भी नाबालिग के कल्याण की ओर इशारा करती हैं। संरक्षक नियुक्त करना या संरक्षक घोषित करना। यदि नाबालिग एक बुद्धिमान वरीयता बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो अदालत को अंतिम निष्कर्ष पर आने में भी उस वरीयता पर विचार करना उचित हो सकता है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध संरक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

72. हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 को अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 के पूरक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था। यह

संपत्ति और इसमें शामिल हैं-(i) एक प्राकृतिक अभिभावक, (ii) नाबालिग के पिता या मां की इच्छा से नियुक्त अभिभावक, (iii) एक नियुक्त अभिभावक या न्यायालय द्वारा घोषित, और (vi) वार्डों के किसी न्यायालय से संबंधित किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत इस तरह से कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति। इस अधिनियम के अनुसार 'प्राकृतिक अभिभावक' का अर्थ है धारा 6 में उल्लिखित कोई भी अभिभावक। धारा 6 में कहा गया है कि हिंदू नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक,

नाबालिग के व्यक्ति के साथ-साथ नाबालिग की संपत्ति के संबंध में

पाँच वर्ष की आयु आम तौर पर माँ के साथ होगी। धारा 8 में कहा गया है कि हिंदू नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक को, इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उन सभी कार्यों को करने की शक्ति है जो नाबालिग के लाभ के लिए या नाबालिग की संपत्ति की प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए आवश्यक या उचित और उचित हैं, लेकिन अभिभावक, किसी भी मामले में, नाबालिग को व्यक्तिगत वाचा द्वारा बाध्य नहीं कर सकता है। धारा 8 की उप-धारा (5) में कहा गया है कि संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 कुछ क्षेत्रों में लागू होगा। परिस्थितियाँ। अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि अदालत द्वारा किसी भी व्यक्ति की हिंदू नाबालिग के अभिभावक के रूप में नियुक्ति या घोषणा में, नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

73. ऊपर उल्लिखित दो अधिनियमों के प्रावधानों को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाबालिगों का कल्याण मुख्य रूप से इस हद तक कि अभिभावक होने का दावा करने वाले या अभिरक्षा के हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के कानूनी अधिकार अदालत द्वारा निर्धारण में बहुत ही महत्वहीन भूमिका निभाएंगे।

74. सुश्री अरोड़ा वास्तव में उपरोक्त प्रस्ताव का विरोध नहीं करती हैं। उसका तर्क है कि पिता अपने दोनों का स्वाभाविक संरक्षक होता है।

नाबालिग बच्चों, पिता की अभिरक्षा को नाबालिग पर अवैध या गैरकानूनी प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। उस संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण का कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता है। उनका तर्क है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट जारी करने से पहले, यह दिखाना होगा कि या तो गैरकानूनी हिरासत या हिरासत है या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए आसन्न या गंभीर खतरा है, विशेष रूप से

यदि वह नाबालिग है।

हैबियस कॉर्पस का लेखनः

75. एक बच्चे की अभिरक्षा के दावे से संबंधित मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाली याचिका में, मुख्य मुद्दा जिस पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि बच्चे की अभिरक्षा अवैध है।

76. बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट को हमेशा जेल से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में उचित महत्व दिया गया है। पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन (1997 संस्करण) में, अन्य पहलुओं के अलावा 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' को परिभाषित करते हुए, निम्नलिखित कहा गया हैः

" बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्राचीन विशेषाधिकार लेखन दो अनिवार्य शब्दों बंदी प्रत्यक्षीकरण से अपना नाम लेता है। कॉर्पस, जो

यह उस समय निहित था जब इसे सभी प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं के साथ लैटिन में तैयार किया गया था। इन रिटों का सामान्य उद्देश्य, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, प्राप्त करना था

एक व्यक्ति का उत्पादन "। राजेश्वरी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

77. गृह मामलों के राज्य सचिव बनाम। ओ 'ब्रायन ने बताया

(1923) अधिनियम 603 (609) में, यह देखा गया है कि यह शायद इंग्लैंड के संवैधानिक कानून के लिए ज्ञात सबसे महत्वपूर्ण रिट है, क्योंकि यह अवैध संयम या प्रतिबंध के सभी मामलों में एक त्वरित और अनिवार्य उपचार करता है।

बंदी। यह प्राचीन काल का है, एडवर्ड प्रथम के तैंतीसवें वर्ष में इसके उपयोग का एक उदाहरण है। इसे सदियों से अदालतों द्वारा अवैध हड़पने पर रोक के रूप में ईर्ष्या से बनाए रखा गया है।

लीज की कीमत पर कार्यपालिका द्वारा शक्ति का। 78. हैबियस कॉर्पस की रिट एक विशेषाधिकार प्राप्त रिट और एक असाधारण उपाय है। यह अधिकार का एक रिट है और निश्चित रूप से एक रिट नहीं है और केवल उचित आधार या संभावित कारण दिखाए जाने पर दिया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मोहम्मद में अभिनिर्धारित किया गया है। इकराम हुसैन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1625 और कानू सान्याल बनाम। जिला

मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग, (1973) 2 एससीसी 674। कानू सान्याल (उपरोक्त) के मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियां

हैबियस कॉर्पस के एक रिट की प्रकृति और दायरे को नीचे निकाला जा रहा हैः

न्याय की मशीनरी, न कि मूल कानून। रिट का उद्देश्य उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है जिसे अवैध रूप से उसकी स्वतंत्रता से रोक दिया गया है। यह रिट, निस्संदेह, एक ऐसे व्यक्ति को संबोधित एक आदेश है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति के होने का आरोप है। गैरकानूनी रूप से उसकी हिरासत में उसे ऐसे व्यक्ति के शव को अदालत के समक्ष लाने की आवश्यकता होती है, लेकिन शव को पेश करना

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि उसकी नजरबंदी की परिस्थितियों की जांच की जा सकती है, या रखी जा सकती है

यह अलग तरह से, "ताकि कथित गैरकानूनी प्रतिबंध की न्यायिक जांच पर उचित निर्णय दिया जा सके"। नियोजित रिट का रूप है "हम आपको आदेश देते हैं कि आपके पास हमारे उच्च न्यायालय के राजा की पीठ प्रभाग में है।

यह हमारी रिट प्राप्त होने के तुरंत बाद, ए. बी. के शरीर को आपकी हिरासत में लिया जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है-साथ ही उसे लिए जाने और हिरासत में लिए जाने के दिन और कारण के साथ ऐसे सभी और एकल मामलों और चीजों से गुजरना और प्राप्त करना है जिन पर हमारी अदालत तब और वहां विचार करेगी। इटैलिस किए गए शब्दों से पता चलता है कि रिट मुख्य रूप से अपनी स्वतंत्रता से प्रतिबंधित व्यक्ति को उसकी नजरबंदी [2022] 5 एस. सी. आर. की वैधता के लिए एक त्वरित और प्रभावी उपाय देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जाँच की गई और निर्धारित किया गया और यदि हिरासत गैरकानूनी पाई गई है, तो खुद को रिहा कर दिया गया और इस तरह के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया। रिट का सबसे विशिष्ट तत्व इसकी आकस्मिकता है और जैसा कि लॉर्ड हैल्सबरी, एल. सी. द्वारा कॉक्स बनाम में बताया गया है। हेक्स (सुप्रा), "पूरी प्रक्रिया का आवश्यक और प्रमुख सिद्धांत इसका तत्काल निर्धारण है

आवेदक की स्वतंत्रता और उसकी रिहाई का अधिकार, यदि निरोध गैरकानूनी पाया जाता है। यही रिट का प्राथमिक उद्देश्य है; यही इसका सार और अंत है।

79. इसलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उस अधिकार क्षेत्र के तथ्य पर निर्भर करता है जहां आवेदक प्रथम दृष्टया एक मामला स्थापित करता है कि निरोध गैरकानूनी है। यह केवल तभी है जब उपरोक्त क्षेत्राधिकार तथ्य स्थापित किया जाता है कि आवेदक अधिकार के रूप में रिट का हकदार हो जाता है।

80. एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित दावे के संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का उद्देश्य और दायरा निथ्या आनंद राघवन (उपरोक्त) में इस अदालत के विचार के लिए पड़ा और यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामलों में अदालत का प्रमुख कर्तव्य यह पता लगाना होना चाहिए कि क्या बच्चे की अभिरक्षा गैरकानूनी और अवैध है और क्या बच्चे के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि उसकी वर्तमान अभिरक्षा को बदला जाए और बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल और अभिरक्षा में सौंप दिया जाए।

81. सैयद सलीमुद्दीन बनाम के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हुए। डॉ. रुखसाना और अन्य, (2001) 5 एस. सी. सी. 247, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक बच्चे की अभिरक्षा को एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता को हस्तांतरित करने की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, अदालत के लिए प्रमुख विचार यह पता लगाने के लिए होगा कि क्या बच्चे की अभिरक्षा को गैरकानूनी या अवैध कहा जा सकता है और क्या बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक है कि वर्तमान अभिरक्षा को बदला जाना चाहिए। यह इस प्रकार कहा गया थाः

" 11 ..... यह स्पष्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका की मांग करने वाले आवेदन में

नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए कार्पस प्रिंसिपल

न्यायालय के लिए विचार यह पता लगाने के लिए है कि क्या बच्चों की अभिरक्षा को गैरकानूनी या अवैध कहा जा सकता है और क्या बच्चों के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि

अभिरक्षा को बदला जाना चाहिए और बच्चों को किसी और की देखभाल और अभिरक्षा में छोड़ दिया जाना चाहिए। सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है कि बच्चे की अभिरक्षा के मामले में बच्चे का कल्याण

यह अदालत के लिए सर्वोपरि विचार का विषय है। "-राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम.

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

82. एक नाबालिग की अभिरक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्थिरता के सवाल की इस अदालत द्वारा तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम मामले में जांच की गई थी। शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य, (2019) 7 एस. सी. सी. 42, और यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिका बनाए रखने योग्य होगी जहां माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा हिरासत को अवैध और कानून के किसी भी अधिकार के बिना पाया जाता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण के विशेषाधिकार रिट का असाधारण उपचार असाधारण मामलों में प्राप्त किया जा सकता है जहां कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपचार या तो अनुपलब्ध है या अप्रभावी है। इस संबंध में निर्णय में की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 14. बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेखन एक विशेषाधिकार प्रक्रिया है

प्रभावी प्रावधान करके विषय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना

नजरबंदी। रिट भी बहाल करने के लिए अपने प्रभाव का विस्तार करता है गलत तरीके से वंचित होने पर नाबालिग को उसके अभिभावक की अभिरक्षा

उसमें से। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग को हिरासत में लेना जो अपनी कानूनी हिरासत का हकदार नहीं है, नाबालिग बच्चे की हिरासत का निर्देश देते हुए रिट देने के उद्देश्य से अवैध हिरासत के बराबर माना जाता है। किसी व्यक्ति से नाबालिग की अभिरक्षा की बहाली के लिए

जो व्यक्तिगत कानून के अनुसार, उसका कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक नहीं है, उपयुक्त मामलों में, रिट अदालत के पास अधिकार क्षेत्र है।

एक्स

एक्स

एक्स एक्स

19. बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही न्यायसंगत ठहराने या जाँच करने के लिए नहीं है।

अभिरक्षा की वैधता। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक है

माध्यम जिसके माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा को संबोधित किया जाता है

अदालत के विवेक के अनुसार। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार है

रिट जो एक असाधारण उपाय है और रिट जारी की जाती है

जहाँ विशेष मामले की परिस्थितियों में, सामान्य

कानून द्वारा प्रदान किया गया उपाय या तो उपलब्ध नहीं है या है

अप्रभावी; अन्यथा एक रिट जारी नहीं की जाएगी। बाल अभिरक्षा मामलों में, रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति है केवल
उन मामलों में योग्य जहां एक नाबालिग को एक व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिया गया हो।

वह व्यक्ति जो अपनी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत मुद्दे पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, बाल अभिरक्षा मामलों में,

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बनाए रखने योग्य है जहाँ यह साबित होता है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा एक नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया गया था

अवैध और कानून के किसी भी अधिकार के बिना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. बाल अभिरक्षा मामलों में, सामान्य उपाय केवल निहित है

हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम के तहत या

जैसा भी मामला हो, अभिभावक और वार्ड अधिनियम। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में, अदालत का अधिकार क्षेत्र इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्य रूप से उस क्षेत्र के भीतर रहता है जिस पर अदालत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करती है। अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत जांच और एक रिट अदालत द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं।

प्रकृति। जो महत्वपूर्ण है वह है बच्चे का कल्याण। रिट अदालत में, अधिकारों का निर्धारण केवल शपथ पत्रों के आधार पर किया जाता है। जहाँ न्यायालय का विचार है कि एक विस्तृत जांच है -

आवश्यकता पड़ने पर, न्यायालय असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है और पक्षों को दीवानी अदालत से संपर्क करने का निर्देश दे सकता है। यह केवल असाधारण मामलों में है, नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा

बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र।

83. अंजली कपूर बनाम के मामले में। राजीव बैजल, (2009) 7 एस. सी. सी. 322, जहाँ एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का दावा पिता द्वारा मातृ दादी से स्वाभाविक माता-पिता होने के नाते किया जा रहा था, माँ की जन्म के समय मृत्यु हो गई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बच्चे की अभिरक्षा देने के लिए बच्चे की उचित देखभाल और ध्यान देना एक महत्वपूर्ण कारक है, और तथ्यों पर, बच्चे का पालन-पोषण दादी द्वारा बचपन से किया गया था और भावनात्मक बंधन विकसित होने के कारण, बच्चे की अभिरक्षा को मातृ दादी द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। प्राकृतिक संरक्षकता बनाम बच्चे के कल्याण के प्रतिस्पर्धी अधिकारों पर विचार करते समय, न्यायालय द्वारा विचार के लिए परीक्षण यह माना गया था कि बच्चे के कल्याण और हित के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। सुमेधा नागपाल बनाम में पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए। दिल्ली राज्य, (2000) 9 एस. सी. सी. 745; रोजी जैकब बनाम। जैकब ए. चक्रमक्कल, (1973) 1 एससीसी 840; एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम। अरविंद एम. दिनशॉ, (ऊपर) और मुथुस्वामी चेट्टियार बनाम। के. एम. चिन्ना मुथुस्वामी मूपनार, ए. आई. आर. 1935-ए. आई. इस संबंध में निर्णय में की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" 14. हमारे विचार के लिए सवाल यह है कि क्या वर्तमान परिदृश्य में अपीलार्थी को नाबालिग बच्चे अनाघ की अभिरक्षा सौंपने का निर्देश देना उचित होगा।

उत्तरदाता।

जेस्वारी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

15. अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत, पिता नाबालिग बच्चे का अभिभावक होता है जब तक कि वह अयोग्य नहीं पाया जाता है।

विचार और इस तरह के प्रश्न का निर्णय केवल कानून के तहत पक्षों के अधिकारों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। (देखें। सुमेधा नागपाल बनाम दिल्ली राज्य "। (2000) 9 एससीसी 745 (एससीसी)

पी। 747 , पैरा 2 और 5)।

84. रोजी जैकब बनाम। जैकब ए. चक्रमक्कल (ऊपर), यह न्यायालय

bserved कि

" 7 ..... जिस सिद्धांत पर अदालत को अभिभावक की योग्यता का फैसला करना चाहिए, वह मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता हैः ((i) पिता की योग्यता या अन्यथा संरक्षक होने के लिए, और (ii) हित

नाबालिगों से "।

85. इस न्यायालय ने बच्चे के कल्याण पर विचार करते हुए यह भी कहा

(एस. सी. सी पी. 855, पैरा 15)

" 15 ..... बच्चे केवल संपत्ति नहीं हैंः न ही वे केवल

अपने माता-पिता के लिए खिलौने। माता-पिता का पूर्ण अधिकार

आधुनिक परिवर्तित सामाजिक स्थितियों में उनके बच्चों की नियति और जीवन इन विचारों के अनुरूप हो गए हैं - मनुष्य के रूप में उनका कल्याण ताकि वे बड़े हो सकें

सामान्य संतुलित तरीके से उपयोगी सदस्य बनने के लिए समाज "।

86. एलिजाबेथ दिनशॉ (ऊपर) में, इस न्यायालय ने कहा है कि जब भी किसी अदालत के समक्ष किसी बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो मामले का निर्णय पक्षों के अधिकारों पर विचार करने पर नहीं बल्कि एकमात्र और प्रमुख मानदंड पर किया जाता है। यह बच्चे के हित और कल्याण की सर्वोत्तम सेवा करेगा।

87. यह सवाल कि अदालत यह कैसे निर्धारित करेगी कि बच्चे के हित में क्या है, इस पर पुनः विचार किया गयाः मैकग्राथ एन. टी. एस.), [1893] 1 सीएच। 143 सी. ए., और यह लिंडले एल. जे. द्वारा देखा गया था, निम्न स्तरः

" ..... न्यायालय के विचार के लिए प्रमुख मामला बच्चे का कल्याण है। लेकिन एक बच्चे के कल्याण को केवल पैसे से नहीं मापा जाना चाहिए, न ही केवल शारीरिक आराम से। कल्याण शब्द को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक और धार्मिक कल्याण के साथ-साथ इसके [2022] 5 एस. सी. आर. पर भी विचार किया जाना चाहिए।

शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। न ही स्नेह के संबंध हो सकते हैं

उपेक्षा की गई। "

88. बच्चे के कल्याण का मुद्दा फिर से "0" (एक शिशु), [1965] 1 Ch में उठा। 23 सी. ए., जहाँ हरमन एल. जे. ने निम्नानुसार कहाः

" मुझे लगता है कि यह वास्तव में विवाद में नहीं है कि सभी मामलों में सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है; लेकिन वह,

बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि आप शिलिंग और पेंस, या स्थिति या संभावनाओं, या यहां तक कि धर्म को भी जोड़ते हैं। आप जो देखते हैं वह बच्चे के जीवन की पूरी पृष्ठभूमि है, और पहला

इस बात का ध्यान रखें कि आप कब हैं

उसके कल्याण को देखते हुए यह है कि उसके माता-पिता कौन हैं और वे कौन हैं?

क्या आप अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं?

89. इस सवाल पर कि एक बच्चे के कल्याण की जांच करते समय प्रमुख कारक क्या होंगे, वॉकर v में विचार किया गया था। वॉकर

& हैरिसन, 1981 न्यू ज़ी हालिया कानून 257 और यह देखा गया कि जबकि भौतिक विचारों का अपना स्थान है, वे गौण हैं। विषय हैं। अधिक महत्वपूर्ण हैं स्थिरता और सुरक्षा, प्यार और समझ देखभाल और मार्गदर्शन, और गर्मजोशी और दयालु संबंध जो बच्चे के चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः

" कल्याण एक सर्वव्यापी शब्द है। इसमें सामग्री शामिल है।

कल्याण; एक सुखद घर और आरामदायक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए संसाधनों की पर्याप्तता के अर्थ में और उस अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की पर्याप्तता के अर्थ में

और उचित व्यक्तिगत गौरव बनाए रखा जाता है। हालांकि, जबकि

भौतिक विचारों का अपना स्थान होता है वे गौण होते हैं

विषय हैं। अधिक महत्वपूर्ण हैं स्थिरता और सुरक्षा, प्रेमपूर्ण और समझदार देखभाल और मार्गदर्शन, गर्मजोशी और सुरक्षा।

दयालु संबंध जो पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं

बच्चे के अपने चरित्र, व्यक्तित्व का विकास और प्रतिभा "।

90. माता-पिता द्वारा आवेदन पर विचार करने के संदर्भ में

बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के माध्यम से एक बच्चे की अभिरक्षा की मांग करते हुए, यह अमेरिकी न्यायशास्त्र, द्वितीय संस्करण में कहा गया है। खण्ड. 39 इस प्रकार हैः

' ... . एक बच्चे की अभिरक्षा के लिए एक माता-पिता द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के माध्यम से एक आवेदन राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम को संबोधित किया जाता है।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

न्यायालय के विवेकाधिकार और अभिरक्षा को माता-पिता से रोका जा सकता है जहां यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है कि न्यास या अन्य पर्याप्त कारणों के लिए अयोग्य होने के कारण बच्चे के स्थायी हितों का अभिरक्षा में परिवर्तन द्वारा त्याग किया जाएगा। यह निर्धारित करने में कि क्या पिता या माता को अपनी अभिरक्षा सौंपना बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए होगा, अदालत बच्चे से उचित रूप से परामर्श कर सकती है, यदि उसके पास है

पर्याप्त निर्णय।

91. इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि नाबालिगों के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने में, वह अधिकार क्षेत्र जिसका न्यायालय प्रयोग करता है किसी विशेष कानून में किसी विशेष प्रावधान द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकार क्षेत्र से अलग एक अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में,

अपने छोटे वार्ड की सुरक्षा के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग करता है, और जांच की प्रकृति और दायरा और परिणाम को पूरा करने के लिए न्यायपीठ की अधिकारिता का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का प्राथमिक उद्देश्य, जैसा कि नाबालिग बच्चों पर लागू होता है, यह निर्धारित करना है कि किसकी अभिरक्षा में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को संभवतः आगे बढ़ाया जाएगा। अभिरक्षा के लिए एक माता-पिता द्वारा दूसरे के खिलाफ लाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में उनके बच्चे, अदालत के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों का सवाल है जो उनके बीच है, और उसके सामने भी है, यदि अभिवचनों और साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो उस हित का सवाल है जो माता-पिता के रूप में राज्य का बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देने में है।

92. एक नाबालिग की अभिरक्षा के पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांत को हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथे संस्करण, खंड में निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में कहा गया है। 24 , पृष्ठ 217 पर अनुच्छेद 511:

" ..... जहां किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में किसी नाबालिग की अभिरक्षा या पालन-पोषण का प्रश्न है, तो उस प्रश्न का निर्णय लेते समय, न्यायालय को नाबालिग के कल्याण को पहला और सर्वोपरि विचार मानना चाहिए, और इस पर विचार नहीं कर सकता है।

इस बात पर विचार करें कि क्या किसी अन्य दृष्टिकोण से उस अभिरक्षा या पालन-पोषण के संबंध में पिता का दावा मां से बेहतर है, या मां का दावा पिता से बेहतर है।

93. अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस में, वॉल्यूम। 39 , दूसरा संस्करण, पैरा टी पृष्ठ 280-281, यही सिद्धांत निम्नलिखित में स्पष्ट किया गया है।

एसः

" ..... एक अदालत किसी बच्चे को किसी दावेदार या किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इस अभ्यास में

तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, इसे ऐसे अभिरक्षा में छोड़ दें जो उस समय इसके कल्याण के लिए प्रतीत होता है

आवश्यकता है। "

94. पृष्ठ 281 पर फुटनोट 14 में, अमेरिकी मामलों से निम्नलिखित उद्धरण दिए गए हैं-जो इस बिंदु पर भी जोर देते हैंः

" बाल अभिरक्षा मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूपों का उपयोग प्राचीन काल में विचार किए गए कारावास या संयम की वैधता का परीक्षण करने के उद्देश्य से नहीं है। सामान्य कानून रिट, या क़ानून द्वारा, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य है

एक साधन प्रस्तुत करें जिसके द्वारा न्यायालय अपने प्रयोग में

न्यायिक विवेकाधिकार, यह निर्धारित कर सकता है कि बच्चे के कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या है, और निर्णय बच्चे के कल्याण में शामिल समानताओं पर विचार करके लिया जाता है, जिसके खिलाफ माता-पिता सहित किसी के भी कानूनी अधिकारों की अनुमति नहीं है। हावर्थ वी. नॉर्थकोट, 152 कॉन 460,

208 A 2d और 540,17 ALR3d 758। विषय पर प्रेसीडेंटः

95. जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जौहर ने वी. चंद्रन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा व्यक्त किया, हमें उसी पर गौर करना चाहिए। इस न्यायालय ने वी. चंद्रन (ऊपर) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

न्यायालय के आदेश जहाँ पक्षों ने अपना गठन किया था वैवाहिक गृह, देश में जिस न्यायालय में बच्चे को हटा दिया गया है, उसे पहले इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या न्यायालय इस प्रश्न पर विस्तृत जांच कर सकता है।

अभिरक्षा या मामले से निपटने के लिए संक्षेप में माता-पिता को बच्चे की अभिरक्षा को उस देश में वापस करने का आदेश दें जहां से बच्चे को हटा दिया गया था और बच्चे के कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं की जांच उसके अपने देश के न्यायालय में की जानी चाहिए। क्या न्यायालय को यह विचार रखना चाहिए कि एक विस्तृत जांच आवश्यक है, जेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जाहिर है कि न्यायालय कल्याण पर विचार करने के लिए बाध्य है और

सर्वोपरि विचार के रूप में बच्चे की खुशी और बच्चे के कल्याण के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करें, जिनमें शामिल हैं -

स्थिरता और सुरक्षा, प्यार और समझ देखभाल और

बच्चे के चरित्र का मार्गदर्शन और पूर्ण विकास,

व्यक्तित्व और प्रतिभा। ऐसा करते समय, उसकी अभिरक्षा के बारे में विदेशी न्यायालय के आदेश को उचित महत्व दिया जा सकता है; विदेशी निर्णय का भार और प्रेरक प्रभाव इस पर निर्भर होना चाहिए -

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ।

30. हालाँकि, ऐसे मामले में जहाँ न्यायालय बच्चे को उसके अपने देश वापस करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का संक्षिप्त रूप से प्रयोग करने का निर्णय लेता है,

न्यायालय द्वारा उसके अपने मूल देश में जाँच की गई क्योंकि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो सकता है। मैकी वी में दिया गया संकेत। मैककी [1951 एसी 352: (1951) 1 सभी ईआर 942 (पी. सी.)] कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें एक अधिकार क्षेत्र में एक न्यायालय के लिए यह आदेश देना उचित हो कि एक बच्चा

जाँच किए बिना विदेशी अधिकार क्षेत्र में लौट आए बच्चे की देखभाल से संबंधित विवाद के गुण इस आधार पर कि ऐसा आदेश बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, एल (नाबालिग) में समझाया गया है, पुनः (1974) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 250: (1974) 1 सभी ई. आर. 913 (सी. ए.)] और उक्त दृष्टिकोण

धनवंती जोशी [(1998) 1 एस. सी. सी. 112] मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित। एच. (शिशु) में अपील न्यायालय द्वारा लिया गया समान दृष्टिकोण, पुनः [(1966) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 381 (सी. एच. एंड सी. ए.): (1966) 1 एलिजाबेथ दिनशॉ में इस न्यायालय द्वारा सभी ई. आर. 886 (सी. ए.)] को मंजूरी दी गई है। (1987) 1 एससीसी 42: 1987 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 13 "।

96. यह न्यायालय तब इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा, कि क्या उसके समक्ष मामले में नाबालिग के प्रश्न की विस्तृत जांच की आवश्यकता है और क्या पक्षों को भारत में एक उपयुक्त मंच के समक्ष उक्त आदेश के लिए भेजा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने आई. जी. एम. टी. में निष्कर्ष निकाला कि भारत में पक्षकारों को एक विस्तृत आदेश के लिए हटाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके कारण पैरा 32 से 35 में पाए जाते हैं, जो निम्न स्तरों को पढ़ते हैंः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 32. मान लीजिए, आदित्य एक अमेरिकी नागरिक हैं, जिनका जन्म और पालन-पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। उन्होंने अपने शुरुआती साल वहीं बिताए हैं। आदित्य का प्राकृतिक निवास स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका। वास्तव में, बच्चे के कल्याण और खुशी को ध्यान में रखते हुए और उसके सर्वोत्तम हित में, पक्षों ने सहमति आदेशों की एक श्रृंखला प्राप्त की है।

अमेरिका में अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालयों से उसकी अभिरक्षा/पालन-पोषण के अधिकारों, रखरखाव आदि के संबंध में। प्रारंभ में, 18.4.2005 पर, नाबालिग आदित्य की अभिरक्षा और संरक्षकता के मुद्दों को नियंत्रित करने वाला एक सहमति आदेश न्यूयॉर्क राज्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 6 को बच्चे की संयुक्त अभिरक्षा प्रदान की और यह आदेश में निर्धारित किया गया था कि दूसरे पक्ष को बच्चे के ठिकाने के बारे में सूचित किया जाए। एक अलगाव समझौते में

28.7.2005 पर पक्षों के बीच दर्ज किया गया, नाबालिग बेटे आदित्य की हिरासत के संबंध में 18.4.2005 का सहमति आदेश जारी रहा।

33. 8.9.2005 आदेश में जिसके तहत याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 6 के बीच विवाह को न्यूयॉर्क द्वारा भंग कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी 6 हिरासत आदेश के संशोधन के लिए सहमत हो गया और तदनुसार, न्यूयॉर्क राज्य के परिवार न्यायालय ने 18.6.2007 पर आदेश दिया कि पक्षकार संयुक्त रूप से कानूनी जानकारी साझा करेंगे। और नाबालिग आदित्य की शारीरिक अभिरक्षा और इस संबंध में, बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में एक व्यापक व्यवस्था की गई है।

34. तथ्य यह है कि हिरासत से संबंधित सभी आदेश

नाबालिग बच्चे आदित्य को अमेरिकी अदालतों द्वारा पक्षों की सहमति से पारित किया गया है, जिससे पता चलता है कि प्रतिवादी 6 द्वारा जवाबी-हलफनामे में उठाई गई आपत्तियां-याचिकाकर्ता द्वारा अतीत में बच्चे के बुनियादी अधिकारों से वंचित होने के बारे में हलफनामा; याचिकाकर्ता द्वारा बच्चे को दवा देने में विफलता; नाबालिग बच्चे को शिक्षा से इनकार; बच्चे को शिक्षा से वंचित करना।

नाबालिग बच्चे के लिए वातावरण; और बाल शोषण खोखले और बिना किसी सार के होते हैं। द्वारा उठाई गई आपत्ति उत्तरदाता 6 ने जवाबी-शपथ पत्र में कहा कि आदेश/डिक्री पारित करने वाले अमेरिकी न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और भारतीय कानूनों के साथ असंगत होने के कारण राजेश्वर चंद्रशेखर गणेश बनाम में निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

भारत में भी प्रथम दृष्टया कोई योग्यता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी 6 दो साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है, उसने नाबालिग आदित्य की एकमात्र अभिरक्षा के लिए या यह घोषणा करने के लिए कि नाबालिग बच्चे आदित्य की अभिरक्षा के संबंध में अमेरिकी अदालतों द्वारा पारित आदेश अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बिना हैं, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है। बल्कि यह जवाबी हलफनामे से स्पष्ट होता है कि शुरू में प्रतिवादी 6 ने अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन

बाद में उसी को वापस ले लिया।
35. ऊपर देखे गए तथ्य और परिस्थितियाँ इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं कि केवल इसलिए कि बच्चे को

प्रत्यर्थी 6 द्वारा भारत लाया गया, हिरासत का मुद्दा

नाबालिक बालक के संबंध में आदित्य भारत में न्यायालयों द्वारा विचार किए जाने के योग्य नहीं है और यह सामूहिकता के सिद्धांतों के साथ-साथ तथ्यों के अनुसार होगा कि बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भेजा जाए जहां से उसे हटा दिया गया है और पक्षकारों को बच्चे के मूल राज्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालयों के समक्ष मामले को स्थापित करने में सक्षम बनाएगा ताकि मौजूदा अभिरक्षा आदेशों में संशोधन किया जा सके। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूर से भी संकेत दे सके।

कि बच्चे का अपने मूल देश लौटना हानिकारक होगा।

97. इस तथ्य के बावजूद कि नाबालिग बच्चा आदित्य दो साल से अधिक समय से भारत में रह रहा था, इस अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह नहीं कहा जा सकता है

कि उन्होंने भारत में अपनी जड़ें विकसित की थीं। इस अदालत ने प्रतिवादी माँ को निर्देश दिया कि वह अपने बच्चे को संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाए और न्यूयॉर्क राज्य के परिवार न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट करे। यह न्यायालय

सक्षम न्यायालय द्वारा अगले आदेश पारित होने तक संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके निवास की व्यवस्था। उन्हें अधिकारियों से अनुरोध करने का भी निर्देश दिया गया था कि मां के खिलाफ जारी वारंट को हटा दिया जाए और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सहमति आदेश के उल्लंघन के लिए किसी भी आपराधिक आरोप को दायर या आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। 98. सूर्य वदनन बनाम। तमिलनाडु राज्य, (2015) 5 एस. सी. सी. 450, पति और पत्नी दोनों भारतीय मूल के थे लेकिन पति यू. के. के निवासी और नागरिक बन गए। पार्टियों ने [2022] 5 एस. सी. आर. में शादी की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत में और ब्रिटेन में उनकी दो बेटियाँ थीं। पत्नी ने ब्रिटिश नागरिकता और ब्रिटिश पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था। दोनों पक्ष ब्रिटेन में लाभ के लिए काम कर रहे थे। पार्टियों को कुछ वैवाहिक समस्याएं होने लगीं, जिसके परिणामस्वरूप पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ भारत वापस आ गई। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i-a) के तहत कोयंबटूर के पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की। इसके बाद, पति ने बच्चों को न्यायालय का वार्ड बनाने के लिए यू. के. में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने बच्चों को उनके अल्पमत के दौरान या न्यायालय के अगले आदेश तक न्यायालय का वार्ड बनाया और पत्नी को बच्चों को विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस करने का निर्देश दिया गया। चूंकि पत्नी विदेशी न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रही, इसलिए पति ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपने बच्चों को पेश करने और उनकी ब्रिटेन वापसी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस न्यायालय ने बच्चों की अभिरक्षा पर कानून पर चर्चा की और निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 46. न्यायालयों की समिति का सिद्धांत अनिवार्य रूप से आत्म-संयम का एक सिद्धांत है, जो तब लागू होता है जब कोई विदेशी न्यायालय

एक बच्चे की अभिरक्षा के मुद्दे को जब्त करने से पहले घरेलू न्यायालय। ऐसी स्थिति हो सकती है कि विदेशी न्यायालय ने भले ही इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया हो, लेकिन कोई प्रभावी फैसला नहीं दे पाता हो।

या सारवान आदेश या दिशा। उस स्थिति में, यदि घरेलू न्यायालय को एक प्रभावी या ठोस आदेश पारित करना था या

ऐसा न करने के कारण।
47. उपरोक्त निर्णयों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि इस बात पर पूरी तरह से एकमत है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि यह अंतिम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य है।

व्यायाम करें लेकिन अंत।
48. इसलिए, हम एक मामले में दो सिद्धांतों से संबंधित हैं।

जैसे वर्तमान। वे इस प्रकार हैंः

((i) न्यायालयों की सामूहिकता का सिद्धांत; और
((ii) सर्वोत्तम हितों और कल्याण का सिद्धांत।

बच्चा।

जेस्वारी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

इन सिद्धांतों को "कानून के विपरीत सिद्धांतों" के रूप में संदर्भित किया गया है [शिल्पा अग्रवाल बनाम। अविरल मित्तल (2010) 1 एस. सी. सी. 591 (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 192] लेकिन वे नहीं हैं।

" एक के विपरीत होने के अर्थ में "

लेकिन वे अलग-अलग सिद्धांतों के अर्थ में विपरीत हैं जिन्हें किसी दिए गए मामले के तथ्यों में लागू करने की आवश्यकता है।

49. फिर इस अंतिम लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य तक पहुँचने के लिए किन प्रमुख परिस्थितियों और कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? सबसे पहले, यह सराहना की जानी चाहिए कि 'सबसे अधिक

सुरिंदर कौर संधू बनाम के अंतरंग संपर्क 'सिद्धांत और निकटतम चिंता' सिद्धांत। हरबक्स सिंह संधू (1984) 3 एस. सी. सी. 698: 1984 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 464 बहुत अधिक जीवित हैं और उन्हें केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका आवेदन हो सकता है

कुछ स्थितियों में असहज। यह उचित नहीं है कि एक घरेलू न्यायालय का एक बच्चे के साथ बहुत कम अंतरंग संपर्क हो और एक बच्चे के साथ बहुत कम निकट संबंध हो और

उसके माता-पिता को (किसी मामले में विदेशी न्यायालय के विरुद्ध) बच्चे के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को निर्धारित करने का कठिन कार्य स्वयं करना चाहिए। एक विदेशी न्यायालय जिसका बच्चे के साथ सबसे घनिष्ठ संपर्क और निकटतम संबंध है, वह बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा और शायद उस सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की सराहना करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा जिसमें बच्चे का पालन-पोषण किया गया है, न कि घरेलू न्यायालय। यह एक ऐसा कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

52. ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिनमें एक अंतरिम या एक

विदेशी न्यायालय के अंतर्वर्ती आदेश को नजरअंदाज किया जा सकता है? ऐसी स्थितियाँ बहुत कम होती हैं। यह निर्धारित करना प्राथमिक महत्व का है, प्रथम दृष्टया, कि विदेशी न्यायालय का उस बच्चे पर अधिकार क्षेत्र है जिसकी अभिरक्षा विवाद में है, इस तथ्य के आधार पर कि बच्चा उस क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी है जिस पर विदेशी न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यदि विदेशी न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, तो विदेशी न्यायालय के अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश को उचित महत्व और सम्मान दिया जाना चाहिए। यदि विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर संदेह नहीं है, तो पहले हड़ताल का सिद्धांत लागू होगा। इसका मतलब यह है कि किसी अन्य न्यायालय (विदेशी या घरेलू) द्वारा पारित एक ठोस आदेश से पहले एक ठोस आदेश को उचित सम्मान और महत्व दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

53. एक मामला हो सकता है, जैसा कि वर्तमान में हुआ है

अपील, जहाँ एक अभिभावक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है

लेकिन अपने पक्ष में कोई ठोस आदेश प्राप्त नहीं करता है

और अन्य माता-पिता दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हैं और इससे पहले अपने पक्ष में एक ठोस आदेश प्राप्त करता है

पहला न्यायालय। ऐसी स्थिति में उचित सम्मान और वजन होना चाहिए। दूसरे द्वारा पारित मूल आदेश को दिया जाना

उस अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश के बाद से न्यायालय

समय से पहले।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

55. अंत में, इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है [एल. (नाबालिग), में

पुनः (1974) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 250: (1974) 1 सभी ईआर 913 (सीए)] कि एक में

मामले को देखते हुए, एक विस्तृत जांच करना उचित हो सकता है

यह तय करने के लिए कि क्या किसी बच्चे को विदेश भेजा जाना चाहिए

देश और विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में या

मामले में जाने के बिना एक संक्षिप्त जांच करने के लिए

सर्वोत्तम हितों और कल्याण से संबंधित विवाद के गुण

बच्चे का और बच्चे को विदेश वापस भेजना और विदेशी न्यायालय की अधिकारिता के लिए।

99. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जबकि अनुच्छेद 49 का उल्लेख किया गया है -

ऊपर दिए गए पैराग्राफ 47,52 और 53 ने 'सबसे अंतरंग संपर्क' और 'सबसे करीबी चिंता' सिद्धांत के सुस्थापित सिद्धांत/सिद्धांत को मान्यता दी, जिसमें क्रमशः न्यायालयों के सामूहिकता के सिद्धांत और पहले सिद्धांत पर जोर दिया गया।

हड़ताल सिद्धांत। उपरोक्त सिद्धांतों को बताने से पहले ही, पैराग्राफ 47 में, न्यायालय ने कहा कि इस बात पर पूरी तरह से एकमत है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि है।

100. अदालत ने इस आधार पर अपील को स्वीकार कर लिया कि ब्रिटेन

न्यायालय ने एक प्रभावी और ठोस आदेश पारित किया था जिसमें पक्षकारों के बच्चों को उस न्यायालय के संरक्षक के रूप में घोषित किया गया था और यह भी कि यू. के. न्यायालय का बच्चों के कल्याण के साथ सबसे घनिष्ठ संपर्क है।

101. निथ्या आनंद राघवन (ऊपर) मामले में, इस अदालत ने फैसला सुनाया

पूरी तरह से एक अलग नोट और एक नया आयाम दिया। उस मामले में, दंपति ने चेन्नई में 30.11.2006 पर शादी की और 2007 की शुरुआत में यूके चले गए। पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। दिसंबर 2008 में गर्भवती होने के बाद पत्नी जून 2009 में नई दिल्ली आई और अपने माता-पिता के साथ रहीं और दिल्ली में 07.08.2009 पर एक बेटी-नेत्रा को जन्म दिया। पति के भारत आने के बाद, दंपति मार्च, 2010 में वापस ब्रिटेन चले गए और कुछ अप्रिय घटनाओं के बाद, पत्नी राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

और बेटी अगस्त 2010 में भारत लौट आई। कानूनी पत्राचार के आदान-प्रदान के बाद, पत्नी और उनकी बेटी दिसंबर, 2011 में वापस लंदन चले गए और जनवरी 2012 में बेटी को यूके में एक नर्सरी में भर्ती कराया गया। दिसंबर, 2012 में, बच्चे को यू. के. की नागरिकता दी गई और पति को जनवरी 2013 में यू. के. की नागरिकता भी दी गई। उन्होंने यू. के. में एक घर खरीदा जहाँ उन्होंने अपने परिवार को स्थानांतरित कर दिया। सितंबर, 2013 में बच्चे को यू. के. के एक प्राथमिक विद्यालय में भर्ती कराया गया था और वह लगभग चार साल की थी। जुलाई, 2014 में पत्नी अपनी बेटी के साथ भारत लौट आई। वह फिर से बच्चे के साथ यू. के. लौट आई। 2014 के अंत और 2015 की शुरुआत के बीच बच्चा बीमार हो गया और उसे हृदय संबंधी विकार का पता चला। 02.07.2015 पर, पत्नी अपने पति के कथित हिंसक व्यवहार के कारण अपनी बेटी के साथ भारत लौट आई। 16.12.2015 पर, पत्नी ने CAW प्रकोष्ठ, नई दिल्ली में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, और पति और उसके माता-पिता को नोटिस के बावजूद, दोनों में से कोई भी पेश नहीं हुआ। पति ने बच्चे की वापसी की मांग के लिए यूके में 08.01.2016 पर हिरासत/वार्डशिप याचिका दायर की। 23.1.2016 पर, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर की, जिसे 08.07.2016 पर अनुमति दी गई थी। पत्नी इस मामले को इस अदालत में ले गई। इस न्यायालय ने अपने पहले के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया धनवंती जोशी बनाम। माधव उंडे, (1998) 1 एस. सी. सी. 112, जिसने बदले में मैकी बनाम का उल्लेख किया। मैककी, 1951 एसी 352: (1951) 1 सभी ई. आर. 942 (पी. सी.), जहाँ प्रिवी काउंसिल ने माना कि विदेशी अदालत का आदेश होगा

बच्चे के कल्याण के लिए और यह कि अदालतों की समिति इसके प्रवर्तन की मांग नहीं करती है, बल्कि इसके गंभीर विचार की मांग करती है। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि भारत ने "अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं" पर 1980 के हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 40 . ..... गैर-कन्वेंशन देशों के संबंध में, कानून यह है कि उस देश की अदालत जिसमें बच्चा गया है।

हटाए गए बच्चे के कल्याण को प्रभावित करने वाले गुणों पर प्रश्न को सर्वोपरि महत्व के रूप में मानना चाहिए और विदेशी न्यायालय के आदेश को केवल एक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए, जब तक कि अदालत बच्चे के हित में संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित नहीं समझती है और इसकी त्वरित वापसी उसके कल्याण के लिए है। संक्षिप्त अधिकारिता के प्रयोग में, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए और यह राय होनी चाहिए कि

बच्चे के निकट होने से पहले शुरू की गई कार्यवाही और बच्चे को उसके मूल राज्य से हटाने और उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लाए जाने के तुरंत बाद दायर की गई, बच्चे के पास [2022] 5 एस. सी. आर. है।

यहाँ और आगे यह कि बोली जाने वाली भाषा या सामाजिक रीति-रिवाजों और संपर्कों में अंतर के कारण अपने मूल राज्य में लौटना बच्चे के कल्याण में होगा, जिसके वह आदी हो गया है या ऐसे अन्य ठोस कारण हैं। ऐसे मामले में अदालत को बच्चे के सर्वोपरि कल्याण के गुणों की विस्तृत जांच का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बच्चे की वापसी का निर्देश देकर उस जांच को विदेशी अदालत पर छोड़ देना चाहिए। यह ध्यान दिया जाए कि असाधारण मामलों में अदालत अभी भी बच्चे को मूल राज्य में वापस करने का निर्देश जारी करने से इनकार कर सकती है और विशेष रूप से उस संबंध में विदेशी अदालत के पूर्व-मौजूदा आदेश के बावजूद, यदि यह संतुष्ट है कि बच्चे की वापसी से उसे नुकसान होने का गंभीर खतरा हो सकता है। इसका मतलब है

कि भारत में जिन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नाबालिग को लाया गया है, उन्हें बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि महत्व देते हुए गुण-दोष के प्रश्न पर "सामान्य रूप से" विचार करना चाहिए।

विदेशी न्यायालय यदि कोई हो तो केवल एक कारक के रूप में और उसके साथ निर्धारित नहीं किया जाता है। किसी भी स्थिति में यह एक संक्षिप्त जांच हो

या एक विस्तृत जांच-बच्चे का कल्याण है

सर्वोपरि विचार। इस प्रकार, इस मुद्दे की जांच करते हुए

बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचाना या अन्यथा बच्चे को असहनीय स्थिति में डालना या यदि बच्चा काफी परिपक्व है और उसकी वापसी पर आपत्ति करता है। हम सम्मानजनक समझौते में हैं। उपरोक्त प्रदर्शनी के साथ।

102. इस न्यायालय ने वी. रवि चंद्रन (उपरोक्त) के फैसले पर भी भरोसा किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी माना कि जांच करने में उच्च न्यायालय की भूमिका

नाबालिग की अभिरक्षा के मामले माता-पिता के देश अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत की कसौटी पर हैं, क्योंकि नाबालिग अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। इसने अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय किसी मामले में नाबालिग बच्चे के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने की याचिका पर विचार करते समय, बच्चे की वापसी का निर्देश दे सकता है या उसमें चर्चा की गई तय कानूनी स्थिति सहित सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकता है। इसने आगे कहा है कि प्रत्येक मामले में अदालत का निर्णय, बच्चे के कल्याण पर विचार करते हुए उसके सामने लाए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर होना चाहिए जो सर्वोपरि विचार का विषय है और राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विदेशी न्यायालय के आदेश को बच्चे के कल्याण के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए और बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के उपाय का उपयोग विदेशी न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति के खिलाफ दिए गए निर्देशों को केवल लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है और उस अधिकार क्षेत्र को निष्पादन न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसने आगे कहा है कि रिट याचिकाकर्ता आदेश को लागू करने के लिए ऐसे अन्य उपाय का सहारा ले सकता है जो कानून में अनुमत हो।

विदेशी न्यायालय द्वारा पारित किया गया या बच्चे की अभिरक्षा के लिए भारतीय न्यायालय के समक्ष किसी अन्य कार्यवाही का सहारा लिया जा सकता है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। इस न्यायालय ने सूर्य में अनुच्छेद 56 (ए) से (डी) को अस्वीकार कर दिया है।

वडानन (ऊपर) जो इस प्रकार हैः

" 56. तथापि, यदि सक्षम अधिकारिता वाले विदेशी न्यायालय का कोई पूर्व-विद्यमान आदेश है और घरेलू न्यायालय एक विस्तृत जांच करने का निर्णय लेता है (सारांश के विरुद्ध)

जाँच), ऐसा करने के लिए विशेष कारण होने चाहिए। निश्चित रूप से एक विस्तृत जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। यह तय करते समय कि क्या एक संक्षिप्त या एक विस्तृत जांच होनी चाहिए

संचालित किया जाना चाहिए, घरेलू अदालत को लेना चाहिए

विचारः

(क) अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश की प्रकृति और प्रभाव

विदेशी अदालत द्वारा पारित।

(ख) स्वदेश लौटने या न लौटने के लिए विशेष कारणों का अस्तित्व बच्चे को विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस भेजना।

(ग) बच्चे के प्रत्यावर्तन से बच्चे को कोई नैतिक या शारीरिक या सामाजिक या सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान नहीं होता है।

बच्चा, और न ही इससे उस माता-पिता को कोई कानूनी नुकसान होना चाहिए जिसके साथ बच्चा भारत में है। ऐसे उदाहरण हैं जहां विदेशी अदालत के आदेश के परिणामस्वरूप विदेश लौटने पर माता-पिता की गिरफ्तारी हो सकती है। [आरती बंदी बनाम। बंदी जगद्रक्षक राव (2013) 15 एस. सी. सी. 790: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 475] ऐसे मामलों में, घरेलू अदालत भी बाध्य है कि

माता-पिता की शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।

(घ) माता-पिता जिस सतर्कता के साथ संबंधित विदेशी अदालत या संबंधित घरेलू अदालत का रुख करते हैं, वह भी प्रासंगिक है। यदि समय अंतराल असामान्य रूप से बड़ा है और उचित रूप से नहीं है

समझाने योग्य और बच्चे ने भारत में मजबूत जड़ें विकसित की हैं,

घरेलू न्यायालय को एक आचरण करने की अच्छी सलाह दी जा सकती है

विस्तृत जाँच। "[2022] 5 एस. सी. आर.

103. उपरोक्त अनुच्छेद 56 के (ए) से (सी) के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा

अमे धनवंती में प्रदर्शनी से दूर जाने की प्रवृत्ति के रूप में

(उपर्युक्त) और वी. रवि चंद्रन (उपर्युक्त) और खंड के संबंध में

ई अदालत उसी से असहमत थी। बेहतर मूल्यांकन के लिए, पैराग्राफ

3 और रिपोर्ट के क्रमशः 66 नीचे निकाले गए हैं:

" 62. जहाँ तक उपरोक्त खंड (ए) से (सी) के संबंध में, वही, हमारे खंड में

उचित सम्मान के साथ, प्रदर्शनी से दूर जाने की प्रवृत्ति

धनवंती जोशी मामले में, जिसे उद्धृत किया गया है

चंद्रन मामला। इसमें जांच की प्रकृति का सुझाव दिया गया है। अनिवार्य रूप से विदेशी क्रम को प्रधानता देने को मान्यता देता है

नाबालिग की अभिरक्षा के मुद्दे पर अदालत। ऐसा हुआ है।

धनवंती जोशी मामले में स्पष्ट रूप से नकार दिया गया। चाहे वह हो

संक्षिप्त जाँच या विस्तृत जाँच का मामला,

हित और कल्याण सर्वोपरि विचार है

केवल एक कारक के रूप में माना जाता है जिसमें लिया जाना है विचार करें। हम पहले भी इस पहलू को विस्तार से बता चुके हैं।

इस फैसले का हिस्सा।

63. पैरा के खंड (घ) में उल्लिखित चौथे कारक के संबंध में

56 , सूर्य वदनन बनाम। टी. एन. राज्य, (2015) 5 एस. सी. सी. 450: (2015)

3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 94], हम सम्मानपूर्वक इससे असहमत हैं। द.

पहला भाग "फर्स्ट स्ट्राइक" सिद्धांत को महत्व देता है। के रूप में

पहले उल्लेख किया गया है, यह प्रासंगिक नहीं है कि कौन सी पार्टी पहले है

"पहली हड़ताल" कहने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया

निर्णय का पैरा 52। यहाँ तक कि पैरा 54 में दी गई उपमा भी

उस सिद्धांत को भारत में न्यायालयों में विस्तारित करने के संबंध में,

यदि भारतीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो वह अनुचित है। के लिए, भारतीय न्यायालय कड़ाई से इन प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं -

संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890, जैसा कि इस मुद्दे पर लागू होता है

अपने अधिकार क्षेत्र में नाबालिग की अभिरक्षा।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

66. एक निर्णायक कारक के रूप में प्रथम हड़ताल सिद्धांत का आह्वान,

हमारी राय में, कमजोर हो जाएगा और कम हो जाएगा

न्यायालय के कर्तव्य का पूर्ण सिद्धांत

के सर्वोत्तम हितों और कल्याण पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र

बच्चा, जो सर्वोपरि महत्व का है। अगर अदालत ने

इस संबंध में आश्वस्त, तथ्य यह है कि पहले से ही एक जेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम है।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अस्तित्व में किसी विदेशी अदालत द्वारा पारित आदेश इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि यह बच्चे के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह केवल उन कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए। द.

बच्चों के हित और कल्याण सर्वोपरि हैं। विचार करें। धनवंती जोशी बनाम में न्यायालयों की सामूहिकता का सिद्धांत जैसा कि देखा गया है। माधव उंडे, (1998) 1 एस. सी. सी. 112, गैर-कन्वेंशन देशों के संबंध में यह है कि जिस देश में बच्चे को हटा दिया गया है, उस देश की अदालत इस पर विचार करेगी

बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि महत्व देने वाले गुणों पर प्रश्न और विदेशी न्यायालय के आदेश को केवल एक कारक के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। जबकि

उस पहलू पर विचार करते हुए, अदालत इस तथ्य पर विचार कर सकती है कि बच्चे का अपहरण उसके आदतन निवास के देश से किया गया था, लेकिन अदालत को इस पर विचार करना चाहिएः बच्चे का कल्याण "।

104. अंत में इस न्यायालय ने, निथ्या आनंद राघवन (ऊपर) में, निम्नानुसार उल्लेख कियाः

" 69. हम एक बार फिर दोहराते हैं कि धनवंती जोशी बनाम में व्याख्या। माधव उंडे, (1998) 1 एस. सी. सी. 112 एक अच्छा कानून है और वी. रवि चंद्रन मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। हम धनवंती जोशी बनाम में लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। माधव उंडे, (1998) 1 एस. सी. सी. 112, अन्य बातों के साथ-साथ, पैरा 33 में कहा गया है कि जहां तक गैर-सम्मेलन देशों की बात है,

संबंधित, कानून यह है कि जिस देश की अदालत में बच्चे को प्रश्न पर विचार करते समय हटा दिया जाता है, उसे बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान में रखना चाहिए और विदेशी अदालत के आदेश को केवल एक कारक के रूप में विचार करना चाहिए। के लिए संक्षिप्त अधिकारिता बच्चे को उन मामलों में वापस किया जाए जहां बच्चे को उसकी मूल भूमि से हटा दिया गया था और दूसरे देश में ले जाया गया था, जहां उसकी मूल भाषा नहीं बोली जाती है, या बच्चा सामाजिक रीति-रिवाजों और संपर्कों से तलाक ले लेता है, जिसके वह आदी हो गया है, या यदि उसकी मूल भूमि में उसकी शिक्षा बाधित होती है और बच्चे को शिक्षा की विदेशी प्रणाली के अधीन किया जा रहा है, तो ये सभी ऐसे कार्य हैं जो बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान कर सकते हैं। फिर से सारांश

अधिकारिता का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब जिस अदालत में बच्चे को हटाया गया है, उसे तुरंत और जल्दी स्थानांतरित किया जाता है।

हितों और कल्याण पर सबसे अधिक विचार किया जाना चाहिए।

बच्चा "।

105. निथ्या आनंद राघवन (उपरोक्त) में निर्णय का सार यह है कि न्यायालयों की सामूहिकता, अंतरंग संबंध, मामले में अधिकार क्षेत्र रखने वाले विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के सिद्धांत

नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा, माता-पिता और बच्चे की नागरिकता, आदि बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण के विचार पर हावी नहीं हो सकते हैं, और यह कि बच्चे को विदेशी अधिकार क्षेत्र में वापस करने के निर्देश के परिणामस्वरूप बच्चे को कोई शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक या अन्य नुकसान नहीं होना चाहिए। 106. जैसा कि इस न्यायालय ने विवेक सिंह बनाम में कहा है। रोमानी सिंह, (2017) 3 एस. सी. सी. 211, इस तरह के मामलों में, जहां एक बच्चा अपने माता-पिता के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण पीड़ा महसूस करता है और आदर्श रूप से दोनों की संगति की आवश्यकता होती है, यह कभी-कभी अदालत के लिए यह तय करना एक कठिन विकल्प बन जाता है कि हिरासत किसे दी जानी चाहिए। हालाँकि, ऐसी दुविधा में भी, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार है। हालांकि, कभी-कभी मौजूदा परिस्थितियाँ इतनी उलझन भरी होती हैं कि परस्पर विरोधी मापदंडों को मापना और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि संतुलन किस तरफ झुकता है।

अंतिम विश्लेषणः

107. निथ्या आनंद राघवन (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या यह दोनों के सर्वोपरि हित और कल्याण में होगा। नाबालिग बच्चे अमेरिका वापस जाएँगे? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हमें प्रत्यर्थी को निर्देश देना चाहिए कि नहीं। 2 दोनों नाबालिग बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाना और उनके द्वारा आदेशित साझा पालन-पोषण योजना का पालन करना।

कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज़, डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक रिलेशंस, कुयाहोगा काउंटी, ओहियो, या दोनों नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा याचिकाकर्ता-माँ को सौंप दें?

108. जहाँ तक दो नाबालिग बच्चों का संबंध है, हम अभिलेख पर सामग्री से उभरने वाली निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान देते हैंः

(1) दोनों नाबालिग बच्चे अमेरिका के निवासी हैं।

(2) बेटा स्वाभाविक नागरिक है और बेटी स्थायी नागरिक है।

(3) दोनों बच्चों का पालन-पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में हुआ है। वे जीवन शैली, भाषा के आदी हैं, उस देश के रीति-रिवाज, नियम और विनियम आदि।

जेस्वारी चंद्रसेकर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(4) बच्चे अमेरिका के निवासी हैं। जिनमें से एक नागरिक है और अगर वापस जाता है तो उसके पास बेहतर भविष्य की संभावनाएँ होंगी।

जैसा कि इस न्यायालय ने वसुधा सेठी और एस वी के मामले में कहा था। किरण वी. भास्कर और एक अन्य, (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 43, मूल देश के वातावरण में संवारने की प्राकृतिक प्रक्रिया व्यापक विकास के लिए उत्तरदायी है। हम विवेक सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए प्रासंगिक आश्वासनों को उद्धृत करते हैं।

" 9. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर अपना अत्यधिक गंभीरता से विचार किया है जो इस तरह का मामला दिए जाने के योग्य है। इस प्रकृति के मामलों में, जहां एक बच्चा अपने माता-पिता के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण पीड़ित महसूस करता है और आदर्श रूप से दोनों की संगति की आवश्यकता होती है, तो कभी-कभी, अदालत के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हिरासत किसे दी जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं, सर्वोपरि

10. हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर अभिरक्षा विवादों का निर्णय लिया जाना है। इस अधिनियम की धारा 7 न्यायालय को संरक्षकता के बारे में आदेश देने का अधिकार देती है। धारा 17 उन मामलों को सूचीबद्ध करती है जिन पर नियुक्ति में न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। अभिभावक और अन्य के अलावा, नाबालिग बच्चे के कल्याण के सिद्धांत को स्थापित करता है। यह भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है

धारा 13 जो निम्नानुसार हैः

" 13. नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए। (1)

किसी व्यक्ति की नियुक्ति या घोषणा में

एक अदालत द्वारा एक हिंदू नाबालिग का अभिभावक, कल्याण

गौण सर्वोपरि विचार होगा।

हिंदुओं के बीच विवाह में संरक्षकता, यदि अदालत की राय है कि उसकी संरक्षकता के लिए नहीं होगा नाबालिग का कल्याण। "[2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. गौरव नागपाल बनाम के मामले में यह न्यायालय। सुमेधा

नागपाल ने इंग्लैंड और अमेरिका में हिरासत से संबंधित कानून के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि उन क्षेत्राधिकारों में भी नाबालिग बच्चे का कल्याण सबसे पहले और सर्वोपरि है

विचार और बाल अभिरक्षा निर्धारित करने के लिए, न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता अपनी अंतर्निहित समानता शक्तियों पर टिकी होती है जहां न्यायालय 'पेरेंस पैट्रिया' के रूप में कार्य करता है। द.

न्यायालय ने आगे कहा कि विभिन्न कानून उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों को विधायी मान्यता देते हैं। न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 13 में आने वाली 'कल्याण' अभिव्यक्ति को निम्नलिखित तरीके से समझायाः

" 51. अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त "कल्याण" शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए और इसे व्यापक रूप से लिया जाना चाहिए। भावना। बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण को अदालत के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण के साथ भी तौलना चाहिए। हालाँकि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो अदालत के अपने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के रास्ते में खड़ा हो सकता है।

ऐसे मामलों में उत्पन्न होना। 52. अपीलार्थी के तर्क में ट्रम्प कार्ड यह है कि बच्चा लंबे समय से पिता के साथ रह रहा है। तर्क आकर्षक है। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक की अनदेखी करता है। विभिन्न आदेशों की अवहेलना करके, यहां तक कि दीक्षा के लिए अग्रणी

अवमानना कार्यवाही, अपीलार्थी रखने में कामयाब रहा है

बच्चे का संरक्षण। वह अपनी गलतियों का लाभ उठाने वाला नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं का उल्लेख किया है विवादित निर्णयों में विस्तार से '।

12. हम समझते हैं कि उपरोक्त सिद्धांत का उद्देश्य है -

दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करना। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा सर्वोत्तम वातावरण में बढ़े और विकसित हो। बच्चे के सर्वोत्तम हित को अग्रदूत पर रखा गया है

परिवार/अभिरक्षा विवादों के इष्टतम विकास और अन्य विचारों पर बच्चे की प्रधानता के अनुसार।

बच्चे को अक्सर एक वयस्क संस्थान के टूटने से जूझना पड़ता है। जबकि माता-पिता का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा परिणाम से कम से कम प्रभावित हो, इसकी अनिवार्यता

बच्चे के विकास के बारे में जो अनिश्चितता बनी रहती है, वह जेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

जब तक नई दिनचर्या बंद नहीं हो जाती। जीवनसाथी के अलग होने का प्रभाव, बच्चों पर, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से और यहां तक कि कुछ हद तक शारीरिक रूप से भी, नगण्य से लेकर गंभीर तक होता है, जो महत्वहीन से लेकर उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके ऐसे प्रभाव भी हो सकते हैं जो अधिक तात्कालिक और अस्थायी से लंबे समय तक चलने वाले होते हैं जिससे काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे की प्रगति में प्रभाव। हालांकि ये प्रभाव अलग या तलाकशुदा जोड़े के प्रत्येक बच्चे पर लागू नहीं होते हैं, और न ही किसी बच्चे ने इन सभी प्रभावों का अनुभव किया है, कुसमायोजन के हानिकारक जोखिम माता-पिता का उद्देश्य बचने और अदालत के इरादे को दरकिनार करने के लिए बने हुए हैं। बच्चे का यह अधिकार व्यक्तिगत गरिमा पर भी आधारित है।

13. 'कल्याण' सिद्धांत के पीछे दूसरा औचित्य सार्वजनिक हित है जो बच्चों के इष्टतम विकास के साथ काम करता है। यह सर्वविदित है कि बच्चे राष्ट्र की सर्वोच्च संपत्ति हैं। बड़े कपड़े में बच्चे के सही स्थान को कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों में मान्यता दी गई है, जिन्हें इस देश में भी अपनाया गया है। बाल-केंद्रित मानवाधिकार न्यायशास्त्र जो समय के साथ विकसित हुआ है, इस सिद्धांत पर आधारित है कि सार्वजनिक भलाई बच्चे के उचित विकास की मांग करती है, जो राष्ट्र का भविष्य हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य में टिप्पणियों के बाद इस न्यायालय द्वारा भी बार-बार इस पर जोर दिया गया है। :

" 4. आज का बच्चा जिम्मेदार बनने के लिए विकसित नहीं हो सकता है।

और कल के समाज का उत्पादक सदस्य जब तक कि उसके सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित न हो। प्रत्येक राष्ट्र, विकसित या

इसका विकास, इसके भविष्य को बच्चे की स्थिति से जोड़ता है। बचपन में क्षमता होती है और यह समाज के भविष्य के विकास की सीमा भी निर्धारित करता है। बच्चे मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार हैं। मानव जाति की खुद पर सबसे अच्छी पकड़ है। माता-पिता स्वयं उनके लिए जीते हैं। वे उनमें जीवन के आनंद को मूर्त रूप देते हैं और उनके दैनिक जीवन के संघर्ष में थकान और कठिन परिश्रम को दूर करने वाली मासूमियत में। माता-पिता को बच्चों की संगति में शांति और खुशी मिलती है। द.

बच्चे मनुष्य में शाश्वत आशावाद को दर्शाते हैं और हमेशा मानव विकास की क्षमता प्रदान करते हैं।

बच्चे एक व्यापक मानव के साथ बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।

परिणामतः समाज उनसे प्रसन्न रहेगा। उपेक्षा करना

बच्चों का मतलब पूरे समाज के लिए नुकसान है। अगर बच्चे

अपने बचपन से वंचित हैं-सामाजिक, आर्थिक,

शारीरिक और मानसिक रूप से-राष्ट्र इससे वंचित हो जाता है

सामाजिक प्रगति के लिए संभावित मानव संसाधन, आर्थिक

अच्छे नागरिक। संविधान के संस्थापक, इसलिए, भूमिका के महत्व पर जोर दिया है

बच्चा और उसके सर्वोत्तम विकास की आवश्यकता।

14. यही भावनाएँ पहले रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की गई थीं:

" 15. ..... बच्चे केवल संपत्ति नहीं हैं: न ही वे

आधुनिक परिवर्तित सामाजिक स्थितियाँ, मनुष्य के रूप में उनके कल्याण पर विचार करना ताकि

वे उपयोगी होने के लिए सामान्य संतुलित तरीके से बड़े हो सकते हैं।

समाज के सदस्य "।

15. इस बात पर शायद ही जोर दिया जाना चाहिए कि एक उचित शिक्षा जिसमें कौशल विकास, मनोरंजन और सांस्कृतिक शामिल हों।

रचनात्मक वातावरण समाज का उत्पादक प्रमुख सदस्य है। बच्चों का वर्तमान राष्ट्र के भविष्य से जुड़ता है, और जबकि बच्चे अपने माता-पिता के खजाने होते हैं, वे वे परिसंपत्तियाँ हैं जो राष्ट्र के शासन के लिए जिम्मेदार होंगी। शिक्षा, पर्यावरण, कौशल और स्वास्थ्य के उपकरण बच्चे को आकार देते हैं और इस प्रकार बच्चे को जनता की सहायता करने और आर्थिक प्रगति में योगदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करते हैं। विकास और

व्यक्तिगत हित के साथ बच्चे की उन्नति है

एक महत्वपूर्ण जनहित के साथ, जो राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उत्पन्न होता है।

एक्स

एक्स. स्वारी चंद्रशेखर गणेश बनाम। तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]7. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि प्रतिवादी की तरह अन्य भी दी गई परिस्थितियों में बच्चे की अभिरक्षा के लिए अधिक उपयुक्त था, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी बच्चे की देखभाल करने के लिए सक्षम था।

निम्नलिखित चर्चा के साथ आगे बढ़ेः

" 31. एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में माँ की भूमिका पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है। माँ के माध्यम से बच्चे को सबसे अच्छी सुरक्षा मिलती है। किसी भी बच्चे के लिए अपनी माँ के साथ बड़ा होना सबसे स्वाभाविक बात है। एक बच्चे के लिए माँ की संगति सबसे स्वाभाविक बात है। न तो पिता और न ही कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है।

एक बच्चे के लिए उसी तरह का प्रेमी, स्नेह, देखभाल और सहानुभूति जो एक माँ के लिए होती है। एक माँ की संगति एक बढ़ती हुई महिला बच्चे के लिए अधिक मूल्यवान है जब तक कि

बाध्यकारी और न्यायोचित कारण, एक बच्चे को नहीं होना चाहिए

माँ की संगति से वंचित। माँ की संगति हमेशा नाबालिग बच्चे के कल्याण में रहती है। 32. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलार्थी का रुख यह है कि 4 अगस्त, 2010 से वह

अपने बच्चे की देखभाल। उसने पुलिस थाने का भी दौरा किया था और सी. ए. डब्ल्यू. प्रकोष्ठ से संपर्क किया था। यह भी माना जाता है कि 22 दिनों के भीतर, यानी 26 अगस्त, 2010 को बच्चे की अभिरक्षा देने के लिए उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी। क्या उसने

अपने बच्चे को छोड़ दिया जो उसके पास नहीं होगा

इसके बाद बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए लगातार पीछा किया गया। यहां तक कि उसने भी परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश से बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा का अनुरोध किया था, जो उसे महीने में तीन बार मिलने के अधिकार के रूप में दिया गया था और वह और उसका परिवार उस अवधि के दौरान बच्चे से मिल रहे थे। अपील दायर करने के बाद, अपीलार्थी बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा ले रहा है जैसा कि ऊपर बताया गया है। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने बच्चे की देखभाल नहीं की है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी कोई भी सेना अधिकारी होता है। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने गैर-पारिवारिक स्टेशन भी मिलेंगे और उसके लिए बच्चे को रखना मुश्किल होगा। इसके अलावा, भले ही उसके अनुसार उसके माता-पिता बच्चे की देखभाल कर रहे हैं लेकिन जब

स्वाभाविक माँ वहाँ है और उसने [2022] 5 एस. सी. आर. का दरवाज़ा खटखटाया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत बिना किसी देरी के और बच्चे के लिए पूरा प्यार और स्नेह रखती है और पूरे प्यार और स्नेह के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार है और बच्चे के जन्म के बाद से वह

बच्चे को बनाए रखें। इन परिस्थितियों में, उसे अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से कम उम्र और बच्चे के बालिका होने को देखते हुए। दादा-दादी प्राकृतिक माँ का विकल्प नहीं हो सकते। इस दुनिया में मां के प्यार का कोई विकल्प नहीं है। दादा-दादी बूढ़े हैं। बुढ़ापे की अपनी समस्याएं हैं। तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, बच्चे का कल्याण मां पर निर्भर करता है। अर्थात्, अपीलार्थी जो शिक्षित है, काम कर रहा है और अच्छा वेतन अर्जित कर रहा है और स्कूल के घंटों के बाद पर्याप्त है

बच्चे के साथ समय बिताएँ। इन परिस्थितियों में,

आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और उक्त बच्चे की अभिरक्षा देने के लिए अपीलार्थी का अनुरोध

प्राकृतिक माँ को अनुमति दी जाती है और अपीलार्थी को उसके बच्चे के संरक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जाता है।

संरक्षक/माँ "।

18. ऊपर निकाले गए उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा 31 में निहित उपरोक्त टिप्पणियां अधिक से अधिक के साथ लागू होती हैं।

आज बल, जब सायेशा 8 साल की है। वह एक महत्वपूर्ण चरण में होती है जब सोचने की क्षमता में एक बड़ा बदलाव होता है जो उसे कारण और प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के बारे में सोचने में मदद कर सकता है। उसे नियमित और प्रत्येक माता-पिता के साथ लगातार संपर्क के साथ-साथ माता-पिता की शत्रुता से बचाना। इस उम्र में उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके जीवन में माता-पिता दोनों की भागीदारी और नियमित रूप से स्कूल जाना बिल्कुल आवश्यक है। वह जल्द ही अपनी व्यक्तिगत रुचियों और प्राथमिकताओं को स्थापित करने में सक्षम होगी।

अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के साथ-साथ अनुभव भी। इस दिशा में, माता-पिता के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वे आदर्श अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करें और जितना संभव हो सके स्वस्थ और सकारात्मक उदाहरण स्थापित करें। यह वह उम्र है जब उसका भावनात्मक विकास पहले से कहीं अधिक गहरे स्तर पर विकसित हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपनी सोच में स्थिरता और परिपक्वता प्राप्त करती है और जटिल भावनाओं से निपटने में सक्षम है, यह आवश्यक है कि वह कुछ समय के लिए अपनी माँ के साथ भी रहे। यह न्यायालय इस तथ्य पर आंखें मूंद नहीं सकता कि जेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम की प्रबल भावनाएँ रही हैं।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच कड़वाहट, विश्वासघात, क्रोध और संकट, जहां प्रत्येक पक्ष को लगता है कि वे उन मुद्दों पर अपने कई विचारों में 'सही' हैं जिनके कारण अलगाव हुआ। अपीलार्थी की ओर नकारात्मक भावना की तीव्रता

प्रत्यर्थी का सैशा के मानस पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा, जो अपने पिता की संगति में रही है, अपनी माँ के बहिष्कार के लिए। अपीलार्थी द्वारा बच्चे को दूसरे माता-पिता, यानी माँ के बारे में अपनी सकारात्मक धारणाओं को छोड़ने और अपीलार्थी के दृष्टिकोण से सहमत होने के लिए उसे बदलने के प्रयास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे उसकी माँ के प्रति सैशा का स्नेह कम हो जाता है। जाहिर है, अपीलार्थी ने इस पूरी अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी के सकारात्मक लक्षणों के बारे में कुछ नहीं कहा होगा। यहां तक कि

दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक कलह को सैशा ने समझा होगा, जैसा कि अपीलार्थी ने माना था।

मनोवैज्ञानिक इसे 'द पेरेंटल एलियनशन सिंड्रोम' कहते हैं। इसके कम से कम दो मनोवैज्ञानिक विनाशकारी प्रभाव होते हैं:

बच्चे को यह चुनने के लिए कहा जाता है कि पसंदीदा माता-पिता कौन है। नहीं। चाहे जो भी विकल्प हो, बच्चे के ऐसा करने की बहुत संभावना है

अंत में दर्दनाक रूप से दोषी और भ्रमित महसूस करना। यह है।

संघर्ष। ((ii) दूसरा, बच्चे को वास्तविकता का आकलन करने में बदलाव करने की आवश्यकता है। एक माता-पिता को पूरी तरह से दोषी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है

सभी समस्याओं के लिए, और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी भी सकारात्मक विशेषताओं से रहित है। ये दोनों दावे दर्शाते हैं

एक माता-पिता की वास्तविकता की विकृतियाँ।

19. उपरोक्त चर्चा हमें यह महसूस करने के लिए प्रेरित करती है कि कुछ समय के लिए मां का सैशा के साथ निरंतर सहवास बिल्कुल आवश्यक है। यह भी अंतर्निहित हो सकता है कि यह धारणा कि एक बच्चे की प्राथमिक आवश्यकता उसकी देखभाल और प्यार के लिए है।

माँ, जहाँ वह उसके प्राथमिक देखभाल करने वाले माता-पिता रही हैं, मनोवैज्ञानिक साहित्य के एक विशाल निकाय द्वारा समर्थित है।

अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि मां शिशु "बंधन" शुरू होता है [2022] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चे के जन्म के समय और दो महीने से कम उम्र के शिशुओं में अक्सर परेशानी के संकेत दिखाई देते हैं जब माँ

एक स्थानापन्न देखभालकर्ता द्वारा प्रतिस्थापित। एक शिशु आम तौर पर अपनी माँ की आवाज़ पर चार सप्ताह तक अधिमानतः प्रतिक्रिया करता है, सक्रिय रूप से उसकी उपस्थिति की मांग करता है और आठ महीने तक उसकी अनुपस्थिति का विरोध करता है, और पहले वर्ष के भीतर उसके साथ एक गहरा और स्थायी लगाव बन जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत

यह परिकल्पना की जाती है कि माँ शिशु के छोटे बच्चे का केंद्र होती है।

दुनिया, उसका मनोवैज्ञानिक आधार, और वह "चाहिए"

आने वाले कुछ वर्षों तक ऐसा ही बना रहेगा। विकासात्मक

मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी गुणवत्ता और ताकत

मूल बंधन काफी हद तक बच्चे की अपनी व्यक्तिगत क्षमता को पूरा करने और अन्य के साथ लगाव बनाने की बाद की क्षमता को निर्धारित करता है।

व्यक्तियों और मानव समुदाय के लिए।

इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा जैसा कि ऊपर बताया गया है, माता-पिता के अलगाव सिंड्रोम का सिद्धांत है, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास।

माता-पिता से बच्चे को दूसरे माता-पिता के बारे में अपनी सकारात्मक धारणाओं को छोड़ने और उन्हें अपने दृष्टिकोण से सहमत करने के लिए प्रेरित करना। इसके दो मनोवैज्ञानिक विनाशकारी प्रभाव होते हैं:

(1) यह बच्चे को एक वफादारी प्रतियोगिता के बीच में डाल देता है, जो नहीं हो सकती

संभवतः किसी भी माता-पिता द्वारा जीता गया;

(2) यह बच्चे को वास्तविकता का आकलन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे इसकी आवश्यकता होती है

किसी भी माता-पिता को दोष दें जो माना जाता है कि सकारात्मक लक्षणों से वंचित हैं।

अदालत का इरादा इस तरह के दुष्प्रभावों को दरकिनार करना होना चाहिए।

109. नाबालिग बेटी का आई. क्यू. उल्लेखनीय रूप से उच्च है। उसकी पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों नाबालिग

बच्चों को एक विशेष स्कूल में भर्ती कराया गया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने उल्लेखनीय रूप से उच्च आई. क्यू वाले बच्चों के लिए था। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे स्कूल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में विशेषज्ञता रखते हैं, जो अंततः ऐसे बच्चों के समग्र विकास में मदद करते हैं। विशेष शिक्षा अंततः ऐसे बच्चों

की क्षमता को बढ़ाती है। वर्तमान मामले में दोनों बच्चों के पास परिष्कृत शिक्षा प्राप्त करने की बेहतर संभावनाएं हैं जो अंततः उनकी क्षमता को बढ़ा सकती हैं जो उनके पास पहले से है और जो पहले से ही अभ्यस्त और सहज हैं। 110. मामले में दोनों नाबालिग बच्चों को पहले ही यूएसए के स्कूल में नामांकित किया जा चुका है। इसलिए, अगर नाबालिग बच्चे

यदि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस भेजा जाता है, तो उन्हें पूरी तरह से किसी भी राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम के अधीन नहीं किया जाएगा।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विदेशी शिक्षा प्रणाली। याचिकाकर्ता माँ का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने बच्चों के साथ रहे और बिना किसी उचित कारण के उनसे वंचित न रहे।

याचिकाकर्ता के रहने का समर्थन करने वाले तथ्य

संयुक्त राज्य अमेरिका में: 111. याचिकाकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है और उसने प्रायोजन के माध्यम से एच 1 बी वीजा प्राप्त किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के रणस्ताद में उसकी अच्छी नौकरी है। द.

याचिकाकर्ता अच्छा वेतन कमा रही है और उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने बच्चों को आरामदायक जीवन प्रदान करने के लिए संसाधन हैं। याचिकाकर्ता है आराम से संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की जीवन शैली, संस्कृति, समाज आदि के आदी हैं।

112. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि याचिकाकर्ता ने बहुत काम किया

क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्राप्त करना कठिन था और अपने बच्चों की देखभाल करते हुए 3 से अधिक जी. पी. ए. के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। यह इस तथ्य का संकेत है कि वह एक मेहनती महिला है और

साझा पालन-पोषण योजना के अनुसार अपने नाबालिग बच्चों की अच्छी देखभाल करने की स्थिति में होगी। 113. इस अदालत के लिए याचिकाकर्ता को यह बताना बहुत अधिक होगा कि वह समय-समय पर अपने बच्चों से मिलने के लिए भारत आ सकती है लेकिन बच्चे

अपने पिता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, यानी प्रतिवादी नहीं। 2 . 114. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रतिवादी नं। 2 , जल्द से जल्द, दोनों नाबालिग बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने और ओहियो में अदालत के आदेश के अनुसार साझा पालन-पोषण योजना का पालन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हालाँकि, ओहियो में अदालत के आदेश के अनुसार साझा पालन-पोषण योजना को समाप्त कर दिया गया था

याचिकाकर्ता का उदाहरण-माँ, फिर भी ओहियो में संबंधित अदालत के समक्ष जाकर अधिकारियों द्वारा इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस संबंध में पक्षकारों को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रत्यर्थी नं. 2 इस आदेश के बल पर तुरंत वीजा के लिए आवेदन करेगा। यदि उत्तरदाता नहीं। 2 वर्क परमिट या किसी अन्य दस्तावेज़ के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका में नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में है, तो यह ठीक है और अच्छा है। हालांकि, हमें एक बात का यकीन है कि अमेरिका वापस जाने के उद्देश्य से दोनों बच्चों के हित और कल्याण में होगा।

उनकी शिक्षा आदि। प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए आरोप सं। 2 यह कि याचिकाकर्ता किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, बिल्कुल बेतुका और लापरवाह प्रतीत होता है। अन्यथा भी यह मुद्दा एक अत्यधिक विवादित प्रश्न है।

वास्तव में।

115. इसलिए हम यह मानेंगे कि बार के मामले में प्रमुख विचार जिसके लिए अन्य सभी विचार अधीनस्थ रहने चाहिए।

यह बच्चे का कल्याण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हिरासत का सवाल प्रतिद्वंद्वी पक्षों की आर्थिक परिस्थितियों को देखकर निर्धारित किया जाएगा। इस मामले का निर्धारण केवल शारीरिक आराम और भौतिक लाभों के आधार पर नहीं किया जाएगा जो हो सकते हैं एक या दूसरे दावेदार के घर में उपलब्ध। बच्चे के कल्याण का निर्णय इन और बच्चे के सामान्य मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक कल्याण सहित अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करके किया जाना चाहिए। किसी बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के बीच विवादों को हल करते समय, यह न्यायालय का उद्देश्य होना चाहिए कि वह उस पाठ्यक्रम का चयन करे जो बच्चे के स्वस्थ विकास, विकास और शिक्षा के लिए सबसे अच्छा प्रदान करेगा ताकि वह एक परिपक्व वयस्क के रूप में जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए सुसज्जित हो।

अंतिम निर्णयः

116. हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस रिट याचिका की अनुमति देते हैंः

(1) प्रत्यर्थी नं. 2 - पिता, आज से एक सप्ताह के भीतर, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए वीजा के लिए संबंधित प्राधिकरण को आवेदन करेंगे।

उन दो छोटे बच्चों के साथ।

(2) संबंधित प्राधिकारी वर्तमान निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रख सकता है और दो नाबालिग बच्चों के व्यापक हित में, प्रतिवादी नं. 2 - पिता। एक बार वीजा दिए जाने के बाद, प्रत्यर्थी नं। 2 इसके बाद एक सप्ताह के भीतर वे संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। (3) एक बार जब दोनों नाबालिग बच्चे यू. एस. ए. पहुँच जाएँगे, तो याचिकाकर्ता-माँ के लिए अपने बच्चों की देखभाल करना खुला रहेगा।

(4) हम इसे प्रतिवादी संख्या के लिए खुला छोड़ते हैं। 2 - पिता अपने चाक आउट करने के लिए

अपनी योजना।

(5) यदि उत्तरदाता नहीं। 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में वापस रहना चाहता है, देश के कानून के अनुसार ऐसा करना उसके लिए हमेशा खुला है। यदि उत्तरदाता नहीं। 2 भारत वापस आने का फैसला किया,

तब ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-माँ दोनों नाबालिग बच्चों से कम से कम एक बार अपने पिता से ऑनलाइन बात कराएगी।

सप्ताह।

किसी भी स्थिति में, यदि प्रत्यर्थी को वीजा देने से इनकार कर दिया जाता है तो नं। 2 , तब ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-माँ राजेश्वरी चंद्रशेखर गणेश बनाम के पास जाएगी।

तमिल नाडु और ओआरएस का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

भारत आ ओकर दू टा नाबालिक बच्चाकेँ लऽ कऽ अमेरिका वापस चलि जाउ। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी नं। 2 और उसके परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से सहयोग करने और किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। यदि यह इस न्यायालय के संज्ञान में आता है कि प्रत्यर्थी नहीं। 2 या उसके परिवार के किसी सदस्य ने कोई रचना की है

याचिकाकर्ता के लिए बाधा-माँ, तब इसे इस न्यायालय के आदेश की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा, यह याचिकाकर्ता के लिए खुला होगा-माता अधिकार क्षेत्र से संपर्क करने के लिए

इस न्यायालय से उचित निर्देश, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। (7) हम पार्टियों के लिए ओहियो में अदालत में वापस जाने और साझा पालन-पोषण योजना को पुनर्जीवित करने के लिए इसे खुला छोड़ते हैं जैसा कि 12 मई 2021 के आदेश के माध्यम से किया गया था।

117. इस मामले को बंद करने से पहले, हम पार्टियों को बताना चाहेंगे कि उनके दो नाबालिग बच्चे उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं।

बच्चों को यह दिखाना कि उनके माता-पिता एक-दूसरे का सम्मान कर सकते हैं और संघर्ष को सम्मानपूर्वक हल कर सकते हैं, उन्हें उस संघर्ष के लिए एक अच्छी नींव देगा जो, ईश्वर न करे, उनके अपने जीवन में उत्पन्न हो सकता है। दलों को शांत और केंद्रित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है

वयस्कों और बच्चों की समस्याओं के बीच की सीमाएँ। बच्चों की मासूमियत की रक्षा करना और उन्हें बच्चे बने रहने देना अत्यंत दिलचस्प है। उन्हें किसी भी वयस्क समस्या का बोझ नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चों में वित्तीय बाधाओं, वयस्क संबंधों के मुद्दों या उनके माता-पिता की नाखुशी जैसे किसी भी मुद्दे को समझने की कौशल या बौद्धिक क्षमता नहीं होती है।

118. हम के. जी. बनाम के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को पाते हैं। दिल्ली राज्य और दूसरा, दिनांक 16.11.2017 लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या. 374/2017 और आपराधिक विविध आवेदन संख्या. 2007/2017 में, काफी सराहनीय है कि बच्चे का सबसे अच्छा कल्याण, आम तौर पर, अपने माता-पिता दोनों के साथ एक खुशहाल, प्रेमपूर्ण और देखभाल करने वाले वातावरण में रहने में निहित होगा, जहां माता-पिता जीवन के सभी क्षेत्रों में बच्चे के पालन-पोषण में योगदान करते हैं, और बच्चे को भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और भौतिक समर्थन प्राप्त होता है-कुछ नाम। एक परेशान शादी में, 290

दुर्भाग्य से, कुछ निवेशों में कमी होना तय है जो आदर्श रूप से बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए आवश्यक हैं।

119. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

120. रजिस्ट्री हमारे निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए चार सप्ताह की अवधि के बाद एक बार फिर इस मामले को अधिसूचित करेगी।

बी.

दिव्या पांडे (सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)